शासकीय उपयोग हेतु

अनुसंधान प्रतिवेदन क्रं. - 09

# हल्बा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मार्गदर्शन
आशीष कुमार भट्ट आई.एफ.एस

निर्देशन
एम. एल. पंसारी

अध्ययन एवं प्रतिवेदन
डॉ. राजेन्द्र सिंह

## आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर (छ.ग.)

शासकीय उपयोग हेतु

अनुसंधान प्रतिवेदन क्रं. - 09

# हल्बा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

## वर्ष 2016

मार्गदर्शन : आशीष कुमार भट्ट आई.एफ.एस

निर्देशन : एम. एल. पंसारी

अध्ययन एवं प्रतिवेदन : डॉ. राजेन्द्र सिंह

आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,

क्षेत्रीय इकाई बस्तर, जगदलपुर (छ.ग.)

# अनुक्रमणिका


| अध्याय क्रमांक | पृष्ठक्रमांक |
| --- | --- |
| अध्याय –1 पृष्ठभूमि | 01 – 02 |
| अध्याय –2 हल्बा जनजाति का परिचय | 03 – 09 |
| अध्याय –3 शैक्षणिक स्थिति | 10 – 12 |
| अध्याय –4 भौतिक संस्कृति | 13 – 22 |
| अध्याय –5 जीवन संस्कार | 23 – 33 |
| अध्याय –6 सामाजिक जीवन | 34 – 45 |
| अध्याय –7 आर्थिक जीवन | 46 – 57 |
| अध्याय –8 राजनीतिक संगठन | 58 – 61 |
| अध्याय –9 धार्मिक जीवन | 62 – 66 |
| अध्याय –10 लोक परम्परायें | 67 – 68 |
| अध्याय –11 विकास एवं परिवर्तन | 69 – 73 |

## अध्याय–1
# पृष्ठभूमि

### 1.1 प्रस्तावना

भारत की जनसंख्या का 8.2 प्रतिशत (2011) भाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर वन, पहाड़ों, घाटियों तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन–सहन, संस्कृति को अपनाये हुये निवासरत हैं। इस मानव समुदाय को नेटिव, वनवासी, वन्यजनजाति, देशज, आदिम जाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से पहचान करता है। इनमें से प्रत्येक समुदाय का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति आदि पायी जाती है। यह मानव समुदाय अपने प्राकृतिक निवास क्षेत्र में आदिकाल से निवासरत है। इन जनजातीय समाजों के विकास एवं राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये भारतीय संविधान में विशेष संरक्षी एवं विकासीय प्रावधान किये गये। भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार द्वारा इन जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया। इन सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का सृजन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य के लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ हेतु 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में अनुक्रमांक 17 पर हलबा, हलबी जनजाति अंकित है। रसेल एंड हीरालाल के ग्रंथ **"The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" vol.-III (1916)** के अनुसार– "A caste of cultivators and farmservants nations of the caste. whose home is the south of the Raipur District and the Kanker and Bastar States; from here small numbers of them have spread to Bhandara and parts of Berar." हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा राज्य में निवासरत है। हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले में निवासरत हैं।

## 1.2 अध्ययन के उद्देश्य

हल्बा जनजाति के अध्ययन के उद्देश्य निम्नांकित हैं–

1. हल्बा जनजाति का मानवशास्त्रीय (सामाजिक–आर्थिक–सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. हल्बा जनजाति की शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. हल्बा जनजाति में विकास व परिवर्तन की स्थिति का अध्ययन करना।

## 1.3 अध्ययन प्रविधि

### 1. ग्राम एवं परिवार चयन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के हल्बा जनजाति बहुल ग्रामों में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य किया गया। बस्तर जिले के सभी सात विकासखंडों में से दैव निदर्शन विधि से एक–एक ग्राम का चयन किया गया एवं चयनित ग्राम में निवासरत सभी हल्बा जनजाति परिवारों से जनगणना विधि से पारिवारिक प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया।

### 2. तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन अर्धसहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, वंशावली तथा अनुसूची प्रविधि द्वारा किया गया। परिवारिक सूचनाओं के संकलन हेतु परिवार अनुसूची तथा सामुदायिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित शोध ग्रंथो, जनगणना तथा शासकीय प्रतिवेदनों से किया गया तत्पश्चात प्राप्त तथ्यों का संपादन, विश्लेषण एवं सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन किया गया।

**********

# अध्याय–2
# हल्बा जनजाति का परिचय

हल्बा जनजाति को छत्तीसगढ़ राज्य की विकसित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। हल्बा जनजाति मुख्यतः मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है, इस जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। हल्बा जनजाति रियासत काल से राज व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निर्वाह करने के कारण पूर्व से अन्य जनजातीय समुदायों की तुलना में जागरूक व प्रगतिशील है।

## 2.1. हल्बा जनजाति : परिचय एवं उत्पत्ति

हल्बा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का अभाव है। हल्बा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथायें प्रचलित हैं। **रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ** "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" (1916) vol.- II के अनुसार हल्बा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक कथायें प्रचलित हैं। हल्बा उत्पत्ति कथाओं का उल्लेख निम्नांकित है–

**1**. एक उड़िया राजा ने वन्य प्राणियों तथा पक्षियों से अपने खेतों की रक्षा के लिये चार बिजूका बनवाकर अपने खेत में खड़े करवा दिये थे। एक रात महादेव एवं पार्वती धरती पर टहलते हुए उस स्थान से चले गये। पार्वती ने उन बिजूका को देख कर महादेव से पूछा– ये क्या है? जब इनके बारे में पार्वती जी को बताया गया तो वे बहुत उत्साहित हुई तथा उनके मन में बिजुका के लिये कुछ करने की इच्छा हुई। उन्होने विचार किया कि यदि इन बिजूकाओं में प्राण भर दिये जायें तो अति उत्तम होगा। यह विचार कर उन्होने महादेव जी से प्रार्थना किया। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर महादेव ने उन बिजुकाओं में प्राण भर दिये तथा उन्हे दो पुरूष तथा दो स्त्रियों में परिवर्तित कर दिया। अगली सुबह वे राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए तथा राजा को उनके साथ घटित घटना का वर्णन किया। तब राजा ने कहा "जब तुम पृथ्वी पर आ गये हो, तब तुम्हारी एक जाति होना चाहिये। तुम लोग महादेव के पास जाकर पता लगाओ कि तुम किस जाति से संबंधित हो।" तब वे महादेव के पास गये और स्वयं की जाति के संबंध में पूछा तब उन्होने कहा कि हवा में हिलने के कारण तुम पर हमारा ध्यान गया। इस कारण हवा से हिलना या हलना के कारण तुम्हारी जाति हलबा कहलायेगी।

आगे यह कहानी में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार हल्बा बस्तर तथा कांकेर में आये

तथा बस गये। इस संबंध में कहा गया है कि उड़ीसा के जगन्नाथपुरी के कुष्ठ रोग से पीड़ित एक राजा के साथ कुछ हल्बा व्यक्ति सिहावा जंगल में अपनी अंतिम जीवन काल बिताने के लिये आये। एक दिन राजा अपने सफेद रंग के कुत्ते के साथ शिकार के लिये जंगल गया था। जंगल में वह कुत्ता एक झरना में कूद गया और जब वह बाहर आया तो उसके शरीर का सफेद रंग तांबाई लाल रंग में परिवर्तित हो गया। राजा ने इस चमत्कार को देखा और स्वयं उस झरने में स्नान किया जिससे राजा कुष्ठ रोग से स्वस्थ हो गया। इसके बाद उसे अपने उड़ीसा प्रांत वापस लौटने की इच्छा हुई। लेकिन हल्बाओं ने इसी राज्य में रहना स्वीकार किया।

**2.** हल्बा जनजाति बस्तर राजा से भी संबंधित है। एक मान्यता यह भी है कि हल्बा मूलतः तेलगु राज्य से संबंधित हैं। वे वारंगल से राजा के साथ बस्तर क्षेत्र में आये हैं। मि. गिल्डर के अनुसार हल्बा शब्द प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से व्युत्पत्ति हुआ है जिसका अर्थ "एक पुरातन या प्राचीन" या "आदिम निवासी" है।

**3.** बस्तर में हल्बाओं के राजा के साथ आगमन के संबंध में राय बहादुर पंडा बैजनाथ, बस्तर रियासत के दीवान ने लिखा है कि हल्बाओं के राजा के साथ बस्तर आगमन के संबंध में स्पष्ट नही है किंतु यह सत्य है कि हल्बा जाति के सदस्य लंबे समय से राजा के सुरक्षा का कार्य कर रहे हैं। दशहरा उत्सव के समय हल्बा जाति के सदस्य शाही छत्र लेकर चलते हैं जिसके नीचे राजा चलते हैं तथा एक अन्य हल्बा जाति का व्यक्ति राजा की सुरक्षा के लिये खुली तलवार लेकर तैनात रहता है।

बस्तर के ख्यातिप्राप्त साहित्यकार लाला जगदलपुरी ने अपने ग्रंथ "बस्तर : इतिहास एवं संस्कृति" में हल्बा जनजाति का उल्लेख किया है। इसमें उन्होनें हल्बा जनजाति की उत्पत्ति के अनेक किवदंतियों का उल्लेख किया है। उनके द्वारा प्रथम उल्लेखित किवदंती रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" (1916) vol.-II में महादेव–पार्वती प्रसंग के समान है।

दूसरी किवदंती में हल्बा जाति के उत्पत्ति का संबंध "महाभारत" के रूक्मिणी हरण प्रसंग से संबंधित है। लाला जगदलपुरी (2000) ने लिखा है कि "श्रीकृष्ण जब रूक्मिणी को हर कर भाग रहे थे, तब रूक्मिणी के भाई ने अपने सिपाहियों के साथ उनका पीछा किया। पीछा तो किया, किंतु बलराम जी का पराक्रम देखकर रूक्मिणी के भाई के सिपाही उनसे इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होनें बलराम जी के हल और मूसल को ही अपना लिया। कहते हैं कि उन्ही सिपाहियों का "हल–बाहना" शब्द

उच्चारण भेद के साथ संक्षिप्त रूप में हल्बा प्रचलित हो गया है।"

हल्बा जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में अनेक किवदंतियॉ समाज में प्रचलित है। क्षेत्रकार्य के दौरान **श्री सदानंद मॉझी, ग्राम सिमोड़ा, तहसील–बकावंड, बस्तर** से प्राप्त किवदंती के अनुसार–

आदिकाल में एक बार भगवान शंकर एवं पार्वती किसी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे थे। उस क्षेत्र को सूखा तथा विरान देखकर पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, 'हे प्रभु, यह क्षेत्र इतना सूखा हुआ तथा वीरान क्यों है। यहॉ पशु–पक्षी, मानव, जीव–जंतु क्यों दिखाई नही दे रहे हैं।'' तब शंकर जी ने कहा कि 'यह क्षेत्र पिछले 14 वर्षो से विरान है, यहॉ किसी शाप के कारण वर्षा नही हुई है और जब तक मेरा शंखनाद नही होगा, यहॉ वर्षा नही होगी। यह बात सुनकर पार्वती जी निराश होकर इधर–उधर देखने लगी। उन्होनें देखा कि एक व्यक्ति खेत में हल चला रहा था। पार्वती जी ने उस व्यक्ति के पास जाकर पूछा कि जब पिछले 14 वर्ष से वर्षा नही हो रही है तो तुम व्यर्थ हल क्यों चला रहे। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, वर्षा करवाना मेरे सामर्थ्य में नही है। मैं प्रतिवर्ष निश्चित समय में कृषि की तैयारी इसलिये करता हूॅ कि कहीं मै हल चलाना एवं कृषि करना भूल न जाऊॅ। पार्वती जी उस व्यक्ति के उत्तर को सुनकर अत्यंत व्यथित हुई और भगवान शंकर से निवेदन किया कि ''आप शंखनाद कीजिए।'' पार्वती जी की बाते सुनकर भगवान शंकर जी शंखनाद करते है तथा भरपूर वर्षा होती है। वह व्यक्ति आंनदित होता है तथा शंकर–पार्वती को प्रणाम करता है। भगवान शंकर तथा पार्वती उस व्यक्ति को आर्शीवाद देकर कहते है कि तुमने इतने विषम परिस्थितियों में भी अपने हल को चलायमान रखा। इस करण तुम हलवाहा (हल चलाने वाला) के नाम से संबोधित किये जाओगे। इसके बाद भगवान शंकर व पार्वती जी चले गये। कुछ समय उपरांत प्रकृति पुनः हरी–भरी हो गयी। 'हलवाहा' शब्द धीरे–धीरे परिवर्तित होता हुआ 'हलवा' तथा 'हल्बा' में परिवर्तित होकर जाति सूचक शब्द बन गया।

### 1.5. हल्बा जनजाति का इतिहास

बस्तर में हल्बा जनजाति के विषय में यह धारणा है कि वे वारंगल से अन्नमदेव के साथ बस्तर आये थे। लाला जगदलपुरी ने अपने ग्रंथ "बस्तर : इतिहास एवं संस्कृति" के पृष्ठ क्रमांक 84–85 में उल्लेख किया है कि,"हल्बे मूलतः कहॉ के थे और वे अन्नमदेव की सेना में कब और कहॉ प्रविष्ट हुए? आदि अनेक प्रश्न अभी भी बने हुए हैं, परंतु ऐसा लगता है कि हल्बे घुम्मक्कड़ थे, शिफ्टिंग कल्टिवेशन

के आदी थे और वे समय–समय पर सैनिक वृत्ति भी करते थे। ................इस संबंध में भिन्न–भिन्न रायें तो हैं, लेकिन इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि वे बस्तर राज्य में एक लंबे समय तक राजाओं के विश्वासपात्र अंगरक्षक थे। राजा अन्नमदेव ने उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने राज्य में अनेक सुविधाएं दे रखीं थीं।

दस्तावेजों और लोक संपर्क के आधार पर ग्लसफर्ड द्वारा प्रस्तुत एक उल्लेख से यह जानकारी मिलती है कि बस्तर के चालुक्यवंशी राजा अपने आंतरिक सुरक्षा दल के लिये जिन अठारह खास–खास सौभाग्यशाली स्थानों में नियत, मात्र अठारह खास–खास हल्बा परिवारों से योद्धा नियुक्त करते थे, वे थे अंतागढ़, नारायणपुर, छिंदगढ़, बड़े डोंगर, छोटे डोंगर, बारसूर, बीजापुर, जैतगिरी, भैरमगढ़, मरदापाल, माड़पाल, सिहावा और वृन्दानवागढ़ आदि।

उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि हल्बा जनजाति का इतिहास बस्तर के राजा से जुड़ा हुआ है एवं वे सदैव राजा के विश्वासपात्र रहे हैं। वर्तमान में भी बस्तर की रियासतकालीन राजधानियों एवं गढों में हल्बा जनजाति का निवास यथावत् है।

### 1.6. बोली

हल्बा जनजाति के सदस्य हल्बी बोली का प्रयोग करते हैं। यह बोली आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। बस्तर में हल्बी बोली को संपर्क भाषा (लिंग्वा फ्रैंका) का दर्जा प्राप्त है।

### 1.6. जनसंख्या

### 1.6.1. कुल जनसंख्या

हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले में निवासरत हैं। सन् 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में हल्बा जनजाति की कुल जनसंख्या 375182 है, जिसमें 183877 पुरूष तथा 191305 स्त्रियां हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में हल्बा जनजाति का लिंगानुपात 1040 है तथा बाल लिंगानुपात 990 है।

## 2. सर्वेक्षित जनसंख्या

सर्वेक्षित हल्बा जनजाति के परिवारों की जनसंख्या सारणी क्रं0 1.1 में दर्शाया गया है—

**सारणी क्रं.—1.1**

**सर्वेक्षित हल्बा परिवारों की जनसंख्या**

| क्रमांक | व्यक्ति | संख्या | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरूष | 669 | 51.11 |
| 2. | स्त्री | 640 | 48.89 |
| | योग | 1309 | 100 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों की कुल जनसंख्या में से 48.89 प्रतिशत स्त्री तथा 51.11 प्रतिशत पुरूष जनसंख्या है।

इस अध्ययन हेतु बस्तर जिले के तहसील, सर्वेक्षित ग्राम तथा परिवारों का विवरण सारणी क्रं. —1.2 में प्रदर्शित है—

**सारणी क्रं.—1.2**

**सर्वेक्षित ग्राम, परिवारों तथा जनसंख्या का विवरण**

| क. | जिला | तहसील | ग्राम | परिवार संख्या | पुरूष | महिला | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | बस्तर | जगदलपुर | कैकागढ़ | 18 | 40 | 45 | 85 |
| 2. | | बस्तर | रोतमा | 36 | 106 | 95 | 201 |
| 3. | | बकावंड | सिमोड़ा | 15 | 48 | 30 | 78 |
| 4. | | दरभा | ढ़ोढ़रेपाल | 82 | 207 | 217 | 424 |
| 5. | | बास्तानार | किलेपाल | 03 | 5 | 6 | 11 |
| 6. | | तोकापाल | रान सरगीपाल | 65 | 168 | 146 | 314 |
| 7. | | लोहंडीगुड़ा | साडरा | 36 | 95 | 101 | 196 |
| | **योग** | **07** | **07** | **255** | **669** | **640** | **1309** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि हल्बा जनजाति के मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु बस्तर जिले के जगदलपुर, बस्तर, बकावंड, दरभा, बास्तानार, तोकापाल तथा लोहंडीगुड़ा विकासखंडों/तहसीलों के एक–एक ग्राम का चयन उन ग्रामों में निवासरत सभी 255 हल्बा जनजाति के परिवारों से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया गया।

### 3. लिंगानुपात

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में लिंगानुपात अर्थात् प्रति हजार पुरूषों पर 957 महिलायें पायी गयीं।

### 4. उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या का विवरण सारणी क्रमांक 1.3 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रं0 1.3**
**उम्र–लिंग अनुसार जनसंख्या विवरण**

| क्र. | उम्र वर्ग (वर्ष में) | पुरूष | | स्त्री | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 0 – 5 | 69 | 10.31 | 53 | 8.28 | 122 | 9.32 |
| 2 | 6 – 14 | 121 | 18.09 | 110 | 17.19 | 231 | 17.65 |
| 3 | 15 – 21 | 97 | 14.50 | 100 | 15.63 | 197 | 15.05 |
| 4 | 22 – 35 | 166 | 24.81 | 147 | 22.97 | 313 | 23.91 |
| 5 | 36 – 50 | 124 | 18.54 | 119 | 18.59 | 243 | 18.56 |
| 6 | 51 – 60 | 50 | 7.47 | 48 | 7.5 | 98 | 7.49 |
| 7 | 60 से अधिक | 42 | 6.28 | 63 | 9.84 | 105 | 8.02 |
| | **योग** | **669** | **100** | **640** | **100** | **1309** | **100** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 23.91 प्रतिशत जनसंख्या 22—35 उम्र वर्ग के हैं जबकि न्यूनतम 8.02 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र समूह के हैं। 0—5 उम्र वर्ग में 9.32 प्रतिशत जनसंख्या, 15—21 उम्र वर्ग में 15.05 प्रतिशत, 22—35 उम्र वर्ग में 23.91 प्रतिशत जनसंख्या 36—50 उम्र वर्ग में 18.56 प्रतिशत जनसंख्या तथा 51—60 उम्र वर्ग में 7.49 प्रतिशत जनसंख्या पाया गया।

पुरूषों की जनसंख्या में सर्वाधिक 24.81 प्रतिशत जनसंख्या 22—35 उम्र वर्ग में तथा न्यूनतम 6.28 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक उम्र में पाया गया। स्त्रियों में सर्वाधिक 22.97 प्रतिशत जनसंख्या 22—35 उम्र वर्ग में पाया गया जबकि न्यूनतम 7.5 प्रतिशत जनसंख्या 51—60 उम्र वर्ग में पाया गया।

**********

# अध्याय –3
# शैक्षणिक स्थिति

आदिकाल से शिक्षा मानव समाज के विकास का आधार रहा है। विभिन्न समुदायों में प्रचलित शिक्षा प्रणाली समाज में योग्य नागरिकों के निर्माण करती है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान समाज को विकास के दिशा में अग्रसर करता है। मानव समाज के विकास के प्रत्येक काल में शिक्षा प्रदाय करने की विधि अलग–अलग रही है किन्तु शिक्षा प्रदाय करने का शाश्वत् उद्देश्य समाज का समग्र विकास रहा है। आदिवासी समाज में परंपरागत रुप से अनौपचारिक शिक्षा परिवार, समुदाय द्वारा प्रदत्त रही है, जिसका उद्देश्य समाज हेतु योग्य व्यक्तित्व का विकास करना है। भारत की स्वतंत्रता पश्चात् आदिवासी समाज के विकास हेतु शैक्षणिक विकास को मुख्य आधार मानकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक विकास का प्रयास किया गया है।

हल्बा समाज जागरूक एवं प्रगतिशील समाज रहा है। रियासत काल से राज कार्य जुड़ाव के कारण अन्य जनजातीय तथा ग्रामीण समुदायों की अपेक्षा हल्बा जनजाति में शैक्षणिक विकास अधिक हुआ है। हल्बा जनजाति में विभिन्न जनगणना के दौरान साक्षरता दर को सारणी क्र.–3.1 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रं.–3.1**
**साक्षरता की स्थिति**

| जनगणना वर्ष | हल्बा जनजाति | | | म.प्र./छ.ग. की कुल जनजातीय साक्षरता दर | भारत की कुल जनजातीय साक्षरता दर |
|---|---|---|---|---|---|
| | पुरूष | महिला | योग | | |
| 1961 | 25.37 | 3.56 | 14.25 | 5.10 | 8.53 |
| 1971 | 31.36 | 6.94 | 19.05 | 7.62 | 11.30 |
| 1981 | 44.58 | 13.46 | 28.76 | 10.68 | 16.35 |
| 1991 | 54.82 | 25.35 | 40.00 | 16.88 | 29.60 |
| 2001 | 85.28 | 63.30 | 74.06 | 52.1 | 47.10 |
| 2011 | 86.6 | 66.2 | 76.2 | 59.1 | 58.96 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि हल्बा जनजाति में साक्षरता दर प्रत्येक जनगणना में राज्य तथा राष्ट्र की कुल जनजातीय साक्षरता दर से अधिक रहा है। जनगणना 1961 से 1991 तक हल्बा जनजाति की साक्षरता दर राज्य की कुल जनजातीय साक्षरता दर लगभग तीन गुना अधिक है।

### 3.1. साक्षरता

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में शैक्षणिक स्थिति का विवरण सारणी क्रं.–3.2 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रं. 3.2**

**साक्षरता की स्थिति**

| क्र. | स्थिति | पुरूष | | स्त्री | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | साक्षर | 472 | 78.54 | 342 | 58.26 | 814 | 68.52 |
| 2 | निरक्षर | 129 | 21.46 | 245 | 41.74 | 374 | 31.48 |
| | योग | 601 | 100 | 587 | 100 | 1188 | 100 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता दर 68.52 प्रतिशत तथा 31. 48 प्रतिशत सदस्य निरक्षर है। पुरूषों में 78.54 प्रतिशत साक्षर तथा 21.46 प्रतिशत सदस्य निरक्षर पाये गये जबकि स्त्रियों में 58.26 प्रतिशत साक्षर तथा 41.74 प्रतिशत सदस्य निरक्षर पाये गये।

### 3.2. शैक्षणिक स्थिति

हल्बा परिवारों में शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से साक्षर सदस्यों की स्थिति का समग्र आँकलन किया जा सकता है, जिसे सारणी क्रं0 3.3 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रं. 3.3**
**शैक्षणिक स्थिति**

| क्र. | स्थिति | पुरूष | | स्त्री | | योग | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | अध्ययन जारी | 198 | 32.95 | 182 | 31.01 | 380 | 31.99 |
| 2. | अध्ययन समाप्त | 274 | 45.59 | 160 | 27.25 | 434 | 36.53 |
| 3. | निरक्षर | 129 | 21.46 | 245 | 41.74 | 374 | 31.48 |
| | योग | 601 | 100 | 587 | 100 | 1188 | 100 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है सर्वेक्षित परिवारों में 31.99 प्रतिशत सदस्यों का अध्ययन जारी है तथा 36.53 प्रतिशत सदस्य अध्ययन पूर्ण करने, रोजगार प्राप्ति, शैक्षणिक सुविधा का अभाव, अनुत्तीर्ण होने, अरूचि, पारिवारिक तथा पूर्व में शाला त्याग आदि कारणों से अध्ययन छोड़ चुके हैं। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि 32.95 प्रतिशत पुरूषों की शिक्षा जारी है तथा 45.59 प्रतिशत पुरूष शिक्षा छोड़ चुके हैं। स्त्रियों में 31.01 प्रतिशत स्त्रियाँ शालागामी है तथा 27.25 प्रतिशत स्त्रियाँ शिक्षा छोड़ चुकी हैं। उपरोक्त तालिका में 0–5 वर्ष के बालक–बालिकाओं को सम्मिलित नही किया गया है।

### 3.3. शिक्षा का स्तर

हल्बा परिवारों में साक्षर सदस्यों का शैक्षणिक स्तर तथा अध्ययन के जारी व समाप्त के आधार पर विवरण सारणी क्रं0 3.4 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रं. 3.4**

**शिक्षा का स्तर (जारी एवं समाप्त)**

| क्र | शैक्षणिक स्तर | शिक्षा का स्तर (जारी एवं समाप्त) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | जारी | | | | समाप्त | | | |
| | | पुरूष | प्रतिशत | स्त्री | प्रतिशत | पुरूष | प्रतिशत | स्त्री | प्रतिशत |
| 1. | प्राथमिक | 75 | 40.55 | 65 | 37.79 | 84 | 29.27 | 57 | 33.53 |
| 2. | माध्यमिक | 45 | 24.32 | 42 | 24.42 | 79 | 27.53 | 54 | 31.76 |
| 3. | हाईस्कूल | 35 | 18.92 | 39 | 22.67 | 57 | 19.86 | 26 | 15.29 |
| 4. | हायर सेकेण्डरी | 23 | 12.43 | 20 | 11.63 | 56 | 19.51 | 26 | 15.29 |
| 5. | स्नातक | 7 | 3.78 | 5 | 2.91 | 3 | 1.04 | 4 | 2.36 |
| 6. | स्नातकोत्तर | – | | 1 | 0.58 | 8 | 2.79 | 3 | 1.77 |
| योग | | 185 | 100 | 172 | 100 | 287 | 100 | 170 | 100 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक सदस्य प्राथमिक तक शिक्षित हैं तथा न्यूनतम सदस्य स्नातक तथा स्नातकोत्तर तक शिक्षित है। हल्बा जनजाति के शैक्षणिक स्तर में शिक्षा जारी में पुरूष तथा स्त्रियों में अंतर कम है जबकि पूर्व में शिक्षा प्राप्त या शिक्षा त्याग चुके पुरूष तथा स्त्रियों में अंतर अधिक है अर्थात वर्तमान में हल्बा जनजाति में स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

**********

# अध्याय–4
# भौतिक संस्कृति

हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के मध्य तथा दक्षिणी भाग में निवास करती है। यह राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले में निवासरत हैं। विस्तृत क्षेत्र में निवास के कारण हल्बा जनजाति के भौगोलिक निवास क्षेत्र में विविधता दिखाई देती है। हल्बा जनजाति के कुछ निवास क्षेत्र मैदानी हैं तो कुछ क्षेत्रों में पहाड़ी तथा वन युक्त क्षेत्रों में निवास करती है। इस कारण भिन्न परिवेश में बसाहट के कारण क्षेत्रवार हल्बा जनजाति की भौतिक संस्कृति में विविधता दिखाई देती है।

बस्तर जिले में हल्बा जनजाति सभी सातों तहसील में निवास करती है, किंतु बास्तानार, बकावंड तथा लोहंडीगुड़ा में हल्बा जनजाति की जनसंख्या कम है, बस्तर जिले के हल्बा निवास क्षेत्र में जगदलपुर, तोकापाल, बकावंड तथा बस्तर मैदानी क्षेत्र है जबकि लोहंडीगुड़ा, बास्तानार, दरभा वन तथा पहाड़ युक्त हैं। इस कारण हल्बा जनजाति के भौतिक संस्कृति में भिन्नता दिखाई देती है। हल्बा जनजाति की भौतिक संस्कृति का विवरण निम्नांकित है–

### 4.1. ग्राम

हल्बा जनजाति के ग्राम नदी–नाला के पास एवं वन, पहाड़ या मैदानी क्षेत्र में बसा हुआ है। हल्बा जनजाति के अधिकांश ग्राम बहु जातीय हैं, वे ग्राम में भतरा, मुरिया, माड़िया, परजा, गोंड, दोरला, पनिका, माहरा, राउत, सुंडी आदि जाति–जनजाति के साथ निवास करते हैं, किन्तु इनके मुहल्ले (पारा) पृथक हैं। कुछ ग्रामों जैसे– मधोता, बडांजी, माड़पाल आदि में हल्बा जनजाति की बहुलता है।

हल्बा जनजाति के ग्राम अनेक मुहल्ले में विभाजित होते हैं। हल्बा जनजाति का पृथक मोहल्ला होता है। ग्राम में प्रवेश एक चौड़ा कच्चा मुख्य मार्ग से होता है, जिससे कई गलियां अलग–अलग मुहल्ले में जाती है। गलियों के दोनों ओर मकान बसे होते हैं। हल्बा ग्रामों में आम, इमली, साल, महुआ, बरगद, पीपल, नीम, जामुन आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

ग्राम के मध्य या मुख्य स्थल में बाजार, स्कूल, शासकीय अस्पताल, राशन दुकान आदि स्थित होते हैं। ग्राम के किनारे या मध्य में देवगुड़ी होता है, जिसमें ग्राम देवी–देवता की मूर्ति स्थापित होती है। श्मसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। पूर्व में हल्बा जनजाति के सदस्य लकड़ी से निर्मित कुंआ, डोढ़ी, नदी–नाले का पानी पीते थे, वर्तमान में हैण्डपम्प एवं नल (पाईप लाइन) के जल का उपयोग करने लगे है।

### 4.2. आवास

हल्बा आवास चारों ओर से पत्थर, लकड़ी के खंबे या झाड़ियों या बांस की बाड़ी या मिट्टी की चारदीवारी से घिरा होता है। जिसके मध्य में हल्बा जनजाति का आवास होता है। हल्बा जनजाति के आवास कच्चे, अर्धपक्के एवं पक्के प्रकार के पाये जाते हैं, जिनमें अधिकांश आवास कच्चे प्रकार के हैं। सामने की ओर आंगन रहता है, जिससे लगा हुआ मुख्य घर व थोड़ा दूर में 'कोठासार' (गौशाला) तथा 'छेरी कोटरली' (बकरी रखने का कक्ष) होता है। पूर्व में इसे लकड़ी का बनाया जाता था किंतु वर्तमान में मिट्टी का बनाया जाता है। आंगन में या परछी में 'कुकड़ी गुड़ी' (मुर्गा–मुर्गी रखने का स्थान), 'हांसा गुड़ी'(बतख रखने का स्थान), 'परया गुड़ी'(कबूतर रखने का स्थान) होता है।

**4.2.1. आवास संरचना–**

हल्बा जनजाति के आवास का आकार परिवार की संख्या के अनुसार बनाया जाता है। हल्बा आवास में निम्न कक्ष होते हैं :–

**अ. परछी (बरामदा)**

हल्बा जनजाति के आवास में आंगन से घर में प्रवेश करने पर प्रथम कक्ष 'परछी' होता है, यह लम्बा होता है। इसे बैठक, भोजन कक्ष तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु उपयोग करते हैं। इससे लगा दो 'बाकरा' (कमरा) होता है।

**अ. प्रथम कमरा**– परछी से लगा हुआ प्रथम कक्ष को 'बीज बाकरा तथा देवी बाकरा' कहा जाता है। यह अनाज भंडारण तथा पूजा कक्ष है। इसमें दो भाग होते हैं। एक भाग में भंडारण हेतु 'गोरला' (धान कोठी) बनाया जाता है। 'गोरला' का निर्माण हेतु 2–3 फीट ऊंचे खम्बे गाड़ कर उस पर आड़ी लकड़ियॉ रखकर मंच बना लेते हैं तथा चौकोन आकार में मिट्टी की दीवार बनाकर कमरानुमा ''कोठी'' बना लेते हैं, जो ऊपर की ओर खुला रहता है, कुछ परिवारों में लकड़ी के पटाव के उपर बांस के गोलाकार ढोलगी या 'कड़गी' (धान भंडार करने का पात्र) रख देते हैं। 'गोरला' के किनारे देवी–देवता का चबूतरा होता है, जिसमें गृह देव/देवी, ग्राम देवी तथा पितर देव के प्रतीक को स्थापित करते हैं। देवी–देवता के प्रतीक के रूप में 'कडरी'(चाकू), हांडी तथा त्रिशूल रखते हैं। परछी' से लगा हुआ रसोई सह भंडार कक्ष के एक भाग में अनाज भंडार हेतु ''कोठी'' होता है। ''कोठी'' के समीप में देवी–देवता का चबूतरा होता है। दूसरे भाग में मिट्टी का चूल्हा होता है। चूल्हे से थोड़ी दूर में दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्री मसालों आदि को रखा जाता है।

**ब. द्वितीय कमरा**– परछी से लगा हुआ तथा 'बीज बाकरा तथा देवी बाकरा' के बाजू में 'रांधा बाकरा' (रसोई घर) होता है। इसमें भोजन तैयार किया जाता है।

**4.2.2. आवास निर्माण**– आवास निर्माण की निम्न प्रक्रिया है –

**अ. भूमि चयन**– आवास निर्माण हेतु पानी, आवागमन तथा बाड़ी हेतु पर्याप्त जगह देखकर घर बनाने हेतु स्थल चयन करते हैं। पूर्व में दो आवास के मध्य अधिक दूरी होती थी परंतु वर्तमान में हल्बा जनजाति निवासित कई ग्रामों में जनसंख्या वृद्धि होने के कारण समीप में आवास का निर्माण करने लगे हैं। चयनित भूमि पर आवास निर्माण के शुभ–अशुभ प्रभाव ज्ञात करने हेतु पुजारी या 'पांजीयार' अर्थात पंजी देखने वाले जानकार व्यक्ति से सलाह लेते हैं। आवास निर्माण प्रारंभ करने के नियत तिथि वा समय को भू–स्वामी चयनित भूमि के मध्य में थोड़ी सी जगह को साफ करके महुआ या 'सरगी' या साल वृक्ष के खूंटे को गाड़कर सिंदूर, धूप, अगरबत्ती, नारियल से पूजा करता है। इस पूजा में ग्राम देवी, धरती माता की पूजा करते हैं तथा आराधना करते हैं कि इस भूमि पर बनने वाले आवास में उनका परिवार सुखपूर्वक रहे तथा आनेवाली पीढ़ियॉ फले–फूले।

**ब. निर्माण**– हल्बा आवास का आकार परिवार में सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार बनाया जाता है। कच्चा आवास 15 हाथ लंबा व 10 हाथ चौड़ा या 20 हाथ लंबा व 15 हाथ चौड़ा या 25 हाथ लंबा व 20 हाथ चौड़ा बनाया जाता है। अर्द्ध पक्का तथा पक्का मकान का माप फीट अनुसार माप करते हैं। सामान्यतः हल्बा आवास में प्रवेश एवं निकास के लिये एक ही द्वार होता है वर्तमान में आवास के पार्श्व भाग में निकासी के लिये द्वार बनाने लगे हैं।

आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व भूमि पर रस्सी एवं फावड़े की सहायता से नींव हेतु निशान चिन्हित कर लिया जाता है तथा पानी डालकर फावड़े की सहायता से नींव खुदाई करते हैं। इसके पश्चात् मिट्टी में धान का 'पैरा' (पुआल) एवं पानी मिलाकर पैर से दबाते हैं तथा अच्छी तरह मिल जाने के बाद मिट्टी का गोला बनाकर नींव को भरते हैं तथा पैर से दबाते हैं। नींव भरने के बाद चारों ओर लगभग एक–दो फिट ऊंची दीवार बनाते हैं और अंदर मिट्टी भर देते हैं, यह घर के फर्श का सतह होता है। फर्श के सतह से दीवार बनाते हैं और लगभग पांच फीट लंबा व डेढ़–दो फीट चौड़ा चौखट लगाते हैं। फर्श की सतह से लगभग तीन–चार फीट ऊपर दीवार पर छोटी खिड़की लगाते हैं। दीवार में अंदर की ओर आवश्यकतानुसार 'खोलेका' (आला) बनाते हैं। चौखट के उपर 'दुलूम' (पत्थर या लकड़ी का चौकोर टुकड़ा) लगाते हैं। दीवार इच्छित ऊंचाई तक पहुंचने के बाद गोल या चौकोन लकड़ी की 'पाटी' रख दिया जाता है, इसके ऊपर निश्चित दूरी पर 'कांडा' लगाकर उसके ऊपर पतला बांस या लकड़ी लगाते हैं, इसे रस्सी या कीले की सहायता से लगाते हैं। इसके ऊपर पत्थर या खपरे को ''छा'' (ढंक) दिया जाता है। पूर्व में बांस या झाड़ियों की बाड़ या बाड़ी बनाकर उसमें दोनों ओर से मिट्टी छाबकर दीवार बनाते थे।

यदि पटाव युक्त आवास निर्माण करना हो तो चौखट के ऊपर आवश्यकतानुसार ''पाटी'' की लकड़ी

दूसरे दीवार तक लगाते हैं और ''पाटी'' के ऊपर आड़ी लकड़ी डालकर मिट्टी से पाट देते हैं और दीवार के उपर दीवार बनाते हैं। इसके बाद दीवार या कमरे में आवश्यक खिड़की तथा चौखट लगाकर वांछित उंचाई के बाद पाटी, कांडा तथा बांस या लकड़ी लगाकर 'खपरे' या वर्तमान में सीमेंट शीट से छत को बनाते हैं। दीवार को चिकना या समतल बनाने तथा दरार से बचाने हेतु लाल मिट्टी से छाबते हैं तथा सूखने के पश्चात् क्रमशः गोबर व काली मिट्टी से तथा अंत में छुई मिट्टी या गेरू मिट्टी या पीली मिट्टी से दीवारों की पुताई करते हैं। फर्श को गीली मिट्टी से समतल करते हैं तथा सूखने के पश्चात् गोबर से लीपते हैं।

**स. सजावट**– आवास की आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु मिट्टी, गोबर एवं दीवार की पुताई हेतु छुई मिट्टी, रंगुआ माटी, गेरू माटी एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। आवास की आंतरिक सज्जा हेतु आला के चारों ओर मिट्टी की चौड़ी पट्टी होती है, जिस पर दीवार के रंग से अलग रंग की पुताई की जाती है, दीवार से फर्श के किनारे तक सफेद, काले–नीले रंग की पुताई किया जाता है व फर्श पर गोबर लीप कर किनारे पर पट्टी बनाकर आंतरिक सज्जा किया जाता है। कुछ घरों में मुख्य द्वार के चारों ओर मिट्टी थाप कर आकर्षक सजावटी किया जाता है, जिसे दीवार के रंग से अलग रंग पुताई कर सुन्दर बनाया जाता है।

**द. गृह–प्रवेश**– आवास निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पुजारी या पांजियार से सलाह लेकर गृह प्रवेश करते हैं। ग्राम देवी का पुजारी घर के भीतरी कक्ष देवी–देवता की सिंदूर, नारियल, अगरबत्ती, धूप, फल आदि से पूजा करवाता हैं, पूजन उपरांत पूजा स्थल से अग्नि ले जाकर रसोई कक्ष में भोजन पकाते हैं, इस भोजन को परिवार के सदस्य ही ग्रहण करते हैं। पूजा के उपरांत सभी आमंत्रितों को भोज कराते हैं। एवं नये घर में रहने लगते हैं।

वर्षाकाल में आवास की बाहरी दीवार, नीचे की मिट्टी, रंग खराब हो जाता है, जिसे शीत ऋतु में मरम्मत कर रंग–रोगन किया जाता है।

**इ. आवास व्यवस्था**– हल्बा आवास के सामने आंगन होता है। ऑगन के एक किनारे मिट्टी का 'चौरा' (चबूतरा) होता है। ऑगन से मुख्य द्वार के माध्यम से 'परछी' में प्रवेश करते हैं। 'परछी' बैठक कक्ष व भोजन कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं। 'परछी' के एक कोने में 'ढ़ेकी' (धान कुटने का यंत्र), 'जाता' (दाल पीसने का यंत्र), 'मूसर' लगा होता है। 'परछी' में कपड़े व अन्य दैनिक उपयोगी वस्तुओं को रखा जाता है।

**फ. स्वच्छता एवं सफाई**– घर की दैनिक एवं प्रत्येक विशिष्ट अवसरों पर साफ–सफाई किया

जाता है। प्रातः स्त्रियाँ आंगन को झाडू से बुहारती हैं। गोबर को पानी में घोल कर ऑगन में 'छड़ा' (छिड़कना) लगाती है। घर को दिन में दो बार सुबह व शाम बुहारते हैं तथा प्रत्येक सोमवार व गुरूवार गोबर पानी के घोल से फर्श को लीपती हैं। पशुशाला के गोबर को घर से थोड़ी दूर में बने गोबर गड्ढ़े में फेंककर झाडू बुहार कर साफ करती हैं।

घर के दीवारों की पुताई अमुस, धाननुवा, दियारी आदि त्यौहार में किया जाता है आजकल कुछ परिवारों में विवाह तथा मृत्यु पर भी पुताई किया जाता है। पूर्व में दीवारों की पुताई कपड़े के टुकड़े से किया जाता था वर्तमान में ब्रश, कुची का उपयोग करने लगे हैं।

हल्बा परिवार कच्चे, अर्धपक्के तथा पक्के आवास में निवास करते हैं। सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में आवास की प्रकार का विवरण सारणी क्रं.–4.1 में दर्शित है–

**सारणी क्र.–4.1**

**आवास की स्थिति का विवरण**

| क्र. | आवास का प्रकार | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | कच्चा | 235 | 92.16 |
| 2. | अर्धपक्का | 9 | 3.53 |
| 3. | पक्का | 11 | 4.31 |
| | **योग** | **255** | **100** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 92.16 प्रतिशत कच्चा आवास है जबकि 3.53 प्रतिशत अर्धपक्के तथा 4.31 प्रतिशत पक्का आवास है।

हल्बा सदस्य प्रातः काल दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात् 'सरगी' (साल) या अन्य दातौन व मंजन से दांतों की सफाई करते हैं। वर्तमान में दाँतों की सफाई हेतु दंत मंजन, गुड़ाखू तथा ब्रश–पेस्ट का उपयोग करने लगे हैं।

वे शीत ऋतु तथा ग्रीष्म ऋतु में प्रातः या दोपहर में नियमित रूप से स्नान करते हैं। वर्षाकाल में कृषि कार्य के बाद दोपहर या शाम को स्नान करते हैं। शरीर की सफाई हेतु साबुन तथा बालों को धोने के लिये काली मिट्टी का उपयोग करते हैं। पूर्व में वर्षाकाल में खेत में होने वाले मून माटी से सिर धोते थे, कपड़ों को गर्म पानी और राख में उबालकर धोते थे। वर्तमान में साबुन एवं वाशिंग पावडर का उपयोग करने लगे हैं। स्नान घर के समीप या नदी–नाला, तालाब, हैण्डपम्प, नलकुप, कुंआ आदि जल स्त्रोत में करते हैं।

स्नान के पश्चात् शरीर एवं बालों में सरसों, नारियल, टोरा तेल लगाते हैं। स्त्रियाँ सिर के पिछले हिस्से में फीता तथा क्लीप की सहायता से बेनी बनाती हैं। माथे में बिन्दी का उपयोग करती हैं। कुछ परिवारों में काजल, टेलकम पावडर, क्रीम का उपयोग भी करने लगे हैं।

### 4.3.1. बालों तथा नाखून की सफाई

हल्बा जनजाति में नियमित अंतराल में बालों को काटा जाता है। सोमवार व गुरूवार को बाल नही कटाते हैं। पूर्व में पुरूष सदस्य एक—दूसरे का बाल काटते थे। पिता अपने बच्चों का बाल काटता था। बाल—दाढ़ी की कटाई हेतु पहले लोहार द्वारा बनाये गये 'छूरा' (चाकू) का उपयोग करते थे। वर्तमान में कैंची से बाल काटते हैं। बालों को छोटे रखने के कारण दो से तीन माह में बालों को काटते हैं। मृत्यु संस्कार में बालों का मुंडन करते हैं।

पुरूष एक—दूसरे की दाढ़ी बनाते हैं। पहले छूरा और वर्तमान में ब्लेड का प्रयोग करते हैं। पूर्व में माह में एक बार जबकि वर्तमान में सप्ताहिक अंतराल में दाढ़ी बनाते हैं। वर्तमान में बाल एवं दाढ़ी बनाने के लिये नाई की सेवायें लेने लगे हैं। हाथ—पैर के नाखूनों को 'कडरी' या 'छूरी' (छोटा चाकू) या ब्लेड से 15—20 दिनों के अंतराल में काटते हैं।

### 4.3.2. शारीरिक अंग—छेदन

हल्बा जनजाति में कन्याओं का नाक—कर्ण छेदन सात—नौ वर्ष की उम्र में करवाया जाता है। नाक—कर्ण छेदन गरूड़, ककई कांटा, नागफनी कांटा से किया जाता है। नाक—कर्ण छेदन के पश्चात घाव बनने से रोकने के लिये नमक पानी लगा देते हैं। बालिकाओं को कान के नीचे व उपर के भाग में या केवल निचले भाग में छेद किया जाता है। बालकों के कान छिदवाते हैं, वर्तमान में कम छिदवाया जा रहा है। नाक—कर्ण छेदन शीतकाल में सुबह के समय करते हैं। कान छेदने के पश्चात् पतली सीक पहना देते हैं। घाव सुखने के पश्चात् इच्छित धातु का आभूषण पहना दिया जाता है।

### 4.4. आभूषण

हल्बा जनजाति में स्त्री—पुरूष श्रृंगार, प्रतिष्ठा, सुरक्षा व प्रतीक हेतु आभूषण धारण करते हैं। आभूषण बाजार, मेले, फेरीवाले एवं स्थानीय दुकान से क्रय किये जाते हैं। आभूषण सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित होते हैं। हल्बा पुरूष सदस्यों द्वारा कलाई, गले में आभूषण धारण करते हैं। हल्बा स्त्रियॉ सिर के बाल, कान, नाक, गले, बॉह, कलाई, हाथ की उंगलियों, कमर, पैर तथा पैर की उंगलियों में आभूषण धारण करती हैं।

हल्बा जनजाति में बच्चों, स्त्री—पुरूष नजर व बुरे प्रभाव से रक्षा हेतु गले में काला धागा, बांह में काला

धागा, ताबीज धारण करते हैं।

## 4.5. गोदना

हल्बा जनजाति में गोदना गुदवाने की परंपरा है। हल्बा स्त्रियों द्वारा गोदना गुदवाया जाता है। हल्बा स्त्रियॉ शरीर के अनेक अंगों में गोदना गुदवाते हैं जबकि पुरूष शौक के रूप में हाथ की कलाई में नाम या प्रतीक का गोदना गुदवाते हैं। हल्बा जनजाति में गोदना को पक्का या स्थायी श्रृंगार माना जाता है।

हल्बा जनजाति में विवाह के पश्चात गोदना गुदवाया जाता है। हल्बा जनजाति में मान्यता है कि गोदना ससुराल या पति की ओर से अंकित प्रतीक है, जो मृत्यु के पश्चात् भी दूसरे लोक साथ जाता है। गोदना बॉह व कलाईयों तथा कोहनी के नीचे, हथेली के पार्श्व भाग पर तथा पैरों में पिंडली के चारों ओर तथा पैर के पंजे के ऊपर विभिन्न आकृतियाँ का गुदना गुदवाती हैं।

वर्तमान में सामाजिक सम्पर्क तथा विकास के फलस्वरूप गोदना गुदवाने की प्रथा लुप्त होती जा रही है।

## 4.6. वस्त्र विन्यास

हल्बा जनजाति के वस्त्र विन्यास समकालीन होते हैं। उम्र व लिंग के अनुसार धारण किये जाने वाले वस्त्रों का विवरण निम्न लिखित है –

### 4.6.1. पुरूष

**अ. बालक** – हल्बा जनजाति में नवजात शिशु को छटी संस्कार तक 'गोंदा कपड़ा' (पुराने कपड़े) के टुकड़े में लपेटा जाता है। छठी के दिन से नये कपड़े का ''झबला'' पहनाया जाता है। वर्तमान में चड्डी, पेंट एवं शर्ट पहनाते हैं। शाला में प्रवेश के उम्र से शर्ट, पैंट पहनते हैं। पूर्व में किशोरावस्था में धोती, लुंगी, बनियान पहनते थे, वर्तमान में शर्ट, टी–शर्ट, चड्डी, हाफ एवं फूल पेंट, लुंगी, बनियान पहनते हैं।

**ब. वयस्क** – वयस्क हल्बा जनजाति पुरूष चड्डी, अंगोछी (धोती), लुंगी ,बनियान, कमीज पहनते हैं तथा सिर पर 'पटका' या 'गमछा' बांधते हैं। वर्तमान में कुछ पुरूष सदस्य आधुनिक वस्त्र भी पहनने लगे हैं।

**स. वृद्ध** – वृद्ध पुरूष कमर से घुटने तक अंगोछी (धोती), लुंगी एवं शरीर के ऊपरी भाग में बनियान पहनते है तथा सिर पर साफा बांधते हैं।

### 4.6.2. स्त्री

**अ. बालिका** – नवजात बालिका को छटी तक 'गोंदा कपड़ा' (पुराने कपड़े) में 'लपेटा' जाता है। छठी के पश्चात् दो वर्ष तक 'गज्जी'(झबला), फ्राक एवं चड्डी पहनाते है। स्कूल प्रवेश की उम्र से कमीज, स्कर्ट, फ्राक एवं चड्डी पहनती है तथा किशोरी बालिकायें सलवार कुर्ता, स्कर्ट कमीज पहनती है।

**ब. वयस्क** – वयस्क स्त्रियाँ पूरी लम्बाई की साड़ी, पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती है।

**स. वृद्धा** – वृद्धा पूरी लम्बाई की साड़ी, पेटीकोट तथा ब्लाउज पहनती है।

हल्बा परिवारों में नये वस्त्र जीवन संस्कार एवं मुख्य त्यौहार के अवसर पर क्रय किये जाते हैं। इनके पास आर्थिक स्थिति के अनुसार 2–5 जोड़ी कपड़े पाये जाते हैं। वैवाहिक या विशेष अवसर पर वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किये जाते हैं।

### 4.6.3. बिछाने–ओढ़ने के वस्त्र

हल्बा परिवारों में परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार नये–पुराने बिछाने–ओढ़ने के कपड़े पाये जाते हैं। सोने हेतु 'चाप' (बांस की चटाई), 'मसनी' (पैरा या घास की चटाई) या पुरानी साड़ियों को सीलकर बनायी गयी ''खतड़ी'' (कथरी) को बिछाते हैं व चादर बिछाते हैं। ओढ़ने के लिये बाजार से क्रय किया गया चादर या 'कामरा' (कम्बल) उपयोग करते हैं, पूर्व में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हस्तनिर्मित 'दूसा', 'बरखी' का उपयोग करते थे। गर्मियों में पतली चादर को ओढ़ते हैं। ओढ़ने–बिछाने के चादर 100–300 रूपये तक एवं कंबल 200–800 रूपये मूल्य के होते हैं।

## 4.7. घरेलू उपकरण

हल्बा जनजाति के परिवारों में पाये जाने वाले घरेलू उपकरण जीवन निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से ही दैनिक जीवन सुचारू रूप से गतिमान होता है। हल्बा परिवारों में घरेलू उपकरण की संख्या आवश्यकता एवं संचय पर निर्भर होता है। हल्बा परिवारों में रसोई में उपयोग होने वाले उपकरण जिसमें भोजन पकाने, भोजन ग्रहण करने, पानी तथा तरल लाने तथा भंडारण के सामान, अनाज तथा मसाले रखने के सामान तथा दैनिक उपयोग के अन्य घरेलू उपकरण पाये जाते हैं।

## 4.8. कृषि औजार

हल्बा जनजाति के सदस्य परंपरागत औजारों के माध्यम से कृषि करते हैं। परिवार में कृषि औजार की संख्या आवश्यकता या आर्थिक स्थिति के आधार पर पाये जाते हैं। कृषि औजार न होने पर पड़ोसी परिवार से लिया जाता है। हल्बा जनजाति सदस्यों द्वारा हल, फावड़ा, गैती, कुल्हाड़ी, हंसिया, कुदाली, गागड़ा आदि उपयोग में लाये जाने वाले कृषि औजार हैं। वर्तमान में कुछ हल्बा परिवारों में

आधुनिक कृषि उपकरण जैसे—कीटनाशक यंत्र, उड़ावनी पंखा, ट्रेक्टर, नलकूप, पंप आदि पाये जाने लगे हैं।

### 4.9. मत्स्य आखेट के उपकरण

हल्बा जनजाति के सदस्य नदी—नालों, खेत में तथा तालाबों में मत्स्य आखेट करते हैं। मत्स्य आखेट के प्रमुख उपकरण गरी लाट, विभिन्न प्रकार के जाल, पेलना, कूटन, दांदर, चोड़िया आदि हैं। हल्बा जनजाति के सदस्य मत्स्य आखेट के उपकरणों को बाजार से क्रय करते हैं या स्वयं निर्माण करते हैं।

### 4.10. शिकार के उपकरण

हल्बा जनजाति के सदस्य धार्मिक प्रयोजन, मनोरंजन एवं फसलों की सुरक्षा हेतु शिकार भी करते हैं, वे अपने शिकार के हथियार स्वयं बनाते हैं। वर्तमान में प्रतिबंध के कारण शिकार का प्रचलन नहीं है किन्तु गुप्त रूप से या यदा—कदा तीर—धनुष, गुलेल, विभिन्न प्रकार के जाल आदि से शिकार किया जाता है।

### 4.11. संगीत के उपकरण

हल्बा जनजाति में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन के अवसर पर पारम्परिक वाद्य यंत्रों की सहायता से गीत—संगीत—नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं। जिसमें ढोल, मांदर, ढोलक, बांसुरी, तुड़बुड़ी आदि प्रमुख हैं।

### 4.12. आवागमन के साधन

हल्बा जनजाति के सदस्यों के बाजार—हाट, वनोपज क्रय—विक्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं आवागमन हेतु पैदल एवं सायकल ही मुख्य साधन है। वर्तमान में कच्चे व पक्के सड़कों के विकास से यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है और हलबा सदस्य मोटर सायकल, बस, ट्रक, ट्रेक्टर, जीप आदि का उपयोग आवागमन हेतु करने लगे हैं।

### 3.13. भोजन

हल्बा जनजाति के सदस्य भोजन में चॉवल, दाल तथा मौसमी सब्जियॉ मुख्य खाद्य पदार्थ है। सुबह कृषि कार्य जाने के पूर्व ''पेज'' पीते हैं। हल्बा जनजाति के सदस्य दिन में "पेज बेरा" (दोपहर) एवं "सांझ बेरा" (संध्या काल) में भात, पेज तथा दाल व उपलब्धता अनुसार सब्जी खाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में दाल व सब्जी अनियमित रूप से बनाया जाता है। इन परिवारों में रसेदार सब्जी या नमक, मिर्च, टमाटर की चटनी के साथ भात खाया जाता है।

हल्बा परिवारों में प्रातः व संध्या में चाय पीने का चलन हैं। वे काली चाय पीते हैं। चाय अतिथियों को भी पिलाया जाता है।

## 4.14. धुम्रपान एवं मादक पदार्थ

हल्बा सदस्य गुडाखू, तम्बाकू, बीड़ी का धुम्रपान करते हैं। प्रौढ़ व वृद्धजन तम्बाकू व बीड़ी का तथा किशोर व युवाजन तम्बाकू युक्त गुटखा का सेवन करते हैं।

हल्बा सदस्यों द्वारा मादक पेय के रूप में शराब, सल्फी रस, छिंद रस का उपयोग करते हैं। मादक पदार्थो का सेवन संध्या, साप्ताहिक बाजार, त्यौहार, अतिथि आगमन, धार्मिक सामाजिक आयोजन के दौरान किया जाता है।

**********

## अध्याय–5
# जीवन संस्कार

सभी समाजों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु पर एक निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों को पूर्ण करना पड़ता है। इन अनुष्ठानों में परिवारों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में भिन्नता तथा रूचि के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विवधता दिखाई देता है, किंतु एक समाज में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जीवन संस्कार जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते है। हल्बा जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण इस प्रकार है–

### 5.1. जन्म संस्कार

#### 5.1.1. गर्भधारण

हल्बा जनजाति में मासिक चक्र रूकने से गर्भधारण या गर्भ के ठहरने का ज्ञान होता है। हल्बा जनजाति में गर्भवती स्त्री, गर्भकाल के प्रारंभिक एवं मध्यकाल तक सामान्य दैनिक कार्यो का निर्वहन करती है। इस काल में गर्भवती स्त्री को सामान्य से अधिक या पौष्टिक भोजन दिया जाता है। हल्बा जनजाति में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के लिये पूजा या अनुष्ठान किया जाता है।

हल्बा जनजाति में गर्भवती स्त्री को ग्रहण काल के दौरान घर से बाहर निकलना निषेध होता है। इसी प्रकार गर्भवती स्त्री को दिन में बारह बजे व शाम को नाला, पहाड़, वन की ओर जाने की मनाही होती है। गर्भवती स्त्री तथा उसका पति गर्भकाल के दौरान ग्राम देवी–देवता का प्रसाद ग्रहण नही करते हैं।

हल्बा जनजाति संतान हेतु पुत्र या लड़का को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुत्र वंश को आगे बढ़ायेगा तथा बुढ़ापे में देख–रेख करेगा। इस कारण हल्बा जनजाति में प्रथम संतान हेतु पुत्र या लड़का की कामना करते हैं। हल्बा जनजाति में मान्यता है कि प्रथम पुत्र संतान परिवार के लिये अर्थात् वंशवृद्धि हेतु तथा द्वितीय कन्या संतान समाज या सगा के लिये अर्थात् समाजवृद्धि हेतु होता है।

### 5.1.2. प्रसव

हल्बा जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर में या संस्थागत होता है। घर में प्रसव होने पर प्रसव कार्य ग्राम की दो–तीन जानकार स्त्रियों 'सुईन' से करवाते हैं। पूर्व में लड़का होने पर तीर या कांड से नाल काटते थे, लड़की होने पर 'कडरी' (चाकू) उपयोग करते थे। वर्तमान में नाल काटने के लिये ब्लेड का उपयोग किया जा रहा है।

प्रसव के उपरांत नवजात शिशु को गरम पानी से नहलाकर शिशु को 'गोंदा कपड़ा' (पुराने कपड़े का टुकड़ा) में रखते हैं।

### 5.1.3. कशा पानी

हल्बा जनजाति में प्रसव के उपरांत तीन दिन प्रसूता को 'कशा पानी'(औषधि पेय) दिया जाता है। 'कशा पानी' सगा या विवाह संबंधी द्वारा बनाया जाता है। मिट्टी की हंडी में हिरवां या कोलत (कुल्थी), 'तिल गुंड' (कुटा हुआ काला तिल), छिंद तथा ककही जड़ (जंगली जड़ी) को पानी में उबालकर 'कशा पानी' बनाते हैं। प्रसूता को छोटे तिल तथा गुड़ के लड्डू के साथ 'कशा पानी' पिलाते हैं तथा उपस्थित अन्य स्त्रियों को भी पिलाते हैं। यह माना जाता है कि 'कशा पानी' से प्रसूता की शारीरिक दुर्बलता दूर होती है। तीसरे दिन से प्रसूता को भोजन खिलाते हैं।

### 5.1.4. छठी संस्कार तथा नामकरण

हल्बा जनजाति में शिशु जन्म के 7 या 9 वें दिन में नाल झड़ने पर 'छटी' (छठी संस्कार) किया जाता है। बच्चे को नाल झड़ने तक आंगन में जिस स्थान पर नहलाते हैं, उसी जगह पर विवाह संबंधी पक्ष के सदस्य के साथ नाल को गाड़ देते हैं। इस दिन संबंधियों तथा ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। छठी संस्कार के दिन संध्याकाल में पूजन करते हैं। इस दिन माता तथा नवजात शिशु को नहलाकर नये वस्त्र पहनाते हैं। पूजन स्थल पर धान के उपर दिया–कलश रखकर गोबर की गौरी बनाते हैं तथा सात स्त्रियॉं मिलकर प्रसूता को कसा हांडी स्पर्श कराते हैं व पूजा करते हैं। सभी उपस्थित जन कसा हांडी व कलश को तिलक लगाकर माता व बच्चे को तिलक लगाते हैं व आशीर्वाद तथा उपहार देते हैं। कसा हांडी के उपर रखी साड़ी नवजात बच्चे की बुआ को देते हैं। बच्चे का नामकरण पांजियार (पंजी का ज्ञाता) से परामर्श कर तथा पांजियार द्वारा सुझाये नाम के आधार पर करते हैं या ग्राम के 'माता पुजारी' (ग्रामदेवी के पुजारी) से परामर्श कर नामकरण

करते हैं। इसके बाद पूजा के दौरान अर्पित किये गये सिक्के में से एक सिक्का लेकर कलश में रखकर तथा एक छोटा बालक इस कलश को हिलाते हुये तेज स्वर में बच्चे का नाम पुकारते हुये बाहर निकलता है, जिससे सभी सदस्यों को बच्चे का नाम ज्ञात हो जाता है। सभी आमंत्रित जनों को भोज कराते हैं।

पूर्व में हल्बा जनजाति में बच्चे का नामकरण जन्म के दिन, मास, ऋतु, शारीरिक लक्षण या विशेषता के आधार पर नाम रखते थे। जैसे–सोमवार को जन्मे बालक या बालिका का नाम सोमारू या सोमारी, बुधवार को जन्मे बालक या बालिका का नाम बुधरू या बुधरी, चैत्र मास में जन्म हो तो चैतू आदि। वर्तमान में हल्बा परिवारों के नामकरण में परिवर्तित होने लगा है।

छटी संस्कार के अगले दिन प्रसूता पहनने, ओढ़ने, बिछाने के सभी वस्त्रों को धो कर, अपना 'बाकरा'(कमरा) साफ करती है। स्नान उपरांत शरीर में तेल व हल्दी लगाती है। छटी संस्कार के चौथे दिन प्रसूता रसोई में प्रवेश करती है व भोजन पकाना आरंभ करती है। हल्बा जनजाति के कुछ क्षेत्रों में यह कार्य 21 वें दिन में करते हैं।

### 5.2. विवाह संस्कार

हल्बा समाज में विवाह को जीवन का आवश्यक संस्कार माना जाता है क्योंकि विवाह से ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, निश्चिंतता आती है साथ ही परिवार के निर्माण से समाज व संस्कृति निरन्तर गतिशील रहती है।

#### 5.2.1. विवाह हेतु अधिमान्यता

हल्बा समाज में पूर्व में विवाह हेतु ममेरे–फूफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त था, वर्तमान में ऐसे विवाह को सामाजिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है। यदि कोई परिवार ऐसे विवाह संपन्न करवाता है तो उसे सामाजिक दंड के रूप में 20000 रूपये जुर्माना देना पड़ता है। हल्बा जनजाति वंश व गोत्र बहिर्विवाही तथा जाति अंतर्विवाही है।

#### 5.2.2. विवाह आयु

वर्तमान में हल्बा समाज में लड़कों का विवाह 21–25 वर्ष तथा लड़कियों का विवाह 18–20 वर्ष की आयु में किया जाता है। पूर्व में हल्बा समाज में अल्पायु मे विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात् बालक का विवाह 15–16 वर्ष एवं बालिका का 12–13 वर्ष में किया जाता था।

### 5.2.3. विवाह के प्रकार

हल्बा समाज पुरूष प्रधान समाज है। हल्बा समाज के विवाह पद्धति में पुरूषों को प्रमुखता है। हल्बा समाज में विवाह के निम्न प्रकार प्रचलित है :—

**अ. एकल विवाह**— हल्बा समाज में एकल विवाह की संख्या अधिक है। इसमें एक समय में एक ही पुरूष—स्त्री के मध्य वैवाहिक सम्बन्ध होता है। कई बार विवाह विच्छेद, विधुर/विधवा होने के कारण दूसरे पुरूष/स्त्री से विवाह किया जाता है किन्तु एक समय में एक ही स्त्री/पुरूष से विवाह सम्बन्ध होता है।

**ब. बहुपत्नी विवाह**— हल्बा समाज में बहुपत्नी विवाह अल्पसंख्या में प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण विधवा विवाह एवं संतानहीनता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है। हल्बा समाज में सकारण बहुपत्नी विवाह को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो जाती है।

### 5.2.4. जीवनसाथी चयन की विधियाँ

हल्बा समाज में जीवन साथी चयन करने हेतु अनेक विधि प्रचलित है। विवाह हेतु इच्छुक व्यक्ति या परिवार प्रचलित विधियों के अंतर्गत विवाह कर सकता है। हल्बा समाज में विवाह साथी चयन की विधि का विवरण निम्न है—

**1. सहमति विवाह**— सहमति विवाह में वर—वधू दोनों पक्ष पक्ष आपसी सहमति से विवाह सम्बन्ध तय करते हैं। इनमें में आपसी सहमति के आधार पर तय किये जाने वाले विवाह की संख्या सर्वाधिक है। सहमति विवाह के विभिन्न रूपों का वितरण अद्योलिखित है :—

**अ. मंगनी बिहा (मंगनी विवाह)**

▪ **विवाह प्रस्ताव**— हल्बा जनजाति में पुत्र के विवाह योग्य होने पर पिता योग्य कन्या की तलाश कर, कन्या के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाता हैं। विवाह प्रस्ताव हेतु लड़के का पिता अपने किसी संबंधी या मध्यस्थ के माध्यम से कन्या पक्ष को संदेश भेजा जाता है। कन्या पक्ष से सकारात्मक उत्तर मिलने के पश्चात पांजियार से विवाह हेतु परामर्श करते हैं। पांजियार से विवाह हेतु सहमति प्राप्त होने पर लड़के के माता—पिता कन्या पक्ष को विवाह प्रस्ताव हेतु आने की सूचना देते हैं। यदि कन्या पक्ष से सहमति प्राप्त होने पर नियत तिथि को वर पक्ष के सदस्य कन्या के घर जाते हैं।

▪ **माहला (सगाई)**– हल्बा जनजाति में विवाह प्रस्ताव के स्वीकृति तथा विवाह के मध्य अनेक 'माहला'(सगाई) का रिवाज है, जिसे वर्तमान में वर तथा वधू पक्ष आपसी सहमति से तीन माहला में रस्मों को पूर्ण कर लेते हैं।

हल्बा जनजाति में वर्तमान में प्रचलित तीन 'माहला'(सगाई) का विवरण निम्नांकित है–

**1. शुभ माहला**– शुभ माहला में वर के माता–पिता एवं एक 'सगा' (विवाह संबंधी) कन्या के घर जाते हैं। वे अपने साथ लाई, चिवड़ा, गुड़, चांवल, दाल लेकर जाते हैं। कन्या के घर में कन्या पक्ष व संबंधी उपस्थित रहते हैं। शुभ माहला में उपस्थित जनों के समक्ष वर पक्ष का 'सगा' (विवाह संबंधी) घोषणा करता है कि अमुक थोक (वंश) के सदस्य आपके घर में जो एक फूल है उसे पहनना चाहते हैं। यदि कन्या पक्ष सहमत है तो कन्या का पिता सहमति देता है। इसके पश्चात दोनों पक्षों उपस्थित समाज का अभिवादन करते हैं तथा लाई, चिवड़ा, गुड़ सभी को वितरित कर ग्रहण किया जाता है। इस प्रकार विवाह संबंध तय होता है।

**2. जान्ती माहला**– शुभ माहला के कुछ दिनों पश्चात होने वाले इस माहला में रिश्तेदारों, ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। जिससे सभी को इस विवाह संबंध की जानकारी मिल जाये। इसमें वधू के घर भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के उपस्थित जनों के मध्य रस्म पूर्ण किया जाता है। रस्म पूर्ण करने के उपरांत सभी को लाई–चिवड़ा वितरित किया जाता है तथा भोज कराया जाता है।

**3. बिहा माहला या बड़े माहला**– बिहा माहला में वर–वधू पक्ष के द्वारा विवाह की तिथि, बारात, बाराती तथा विवाह के संबंध में अन्य बातों का निर्धारण किया जाता है। बिहा माहला विवाह के लगभग एक से तीन माह पूर्व किया जाता है।

▪ **छापर खूटा**– विवाह के लगभग 15 दिन पूर्व छापर खूटा स्थापित करते हैं। यह वधू पक्ष में बनाया जाता है। इसमें महुआ या साल का खूटा स्थापित कर पूजा करते हैं।

▪ **विवाह निमंत्रण**– छापर खूटा स्थापना के अगले दिन से संबंधियों तथा ग्रामवासियों को निमंत्रण देने का कार्य प्रारंभ होता है। परिवार का मुखिया या प्रमुख सदस्य रिश्तेदारों के घर जाकर हाथ जोड़कर विवाह का निमंत्रण देता था, वर्तमान में वैवाहिक निमंत्रण पत्र का भी प्रचलन है।

▪ **विवाह**— हल्बा जनजाति में प्रचलित विवाह पद्धति निम्नांकित है—

▪ **विवाह की रस्म**— हल्बा जनजाति में पूर्व में 2—3 दिनों का वैवाहिक कार्यक्रम होता था, जिसे वर्तमान में एक से दो दिनों में सीमित कर दिया गया है। विवाह कार्यक्रम का दैनिक विवरण निम्न है :—

विवाह के प्रथम दिन दोनों पक्ष में मंडप बनाते हैं। परिवार के सदस्य ग्राम माता गुडी (ग्राम देवी का मंदिर) से देव तेल लाते है। ग्राम देवी का पुजारी महुआ की शाखा लाकर 'मांडों' (मंडप) के बीच में गाड़ देता है। परिवार के सदस्यों एवं निकट संबंधियों द्वारा घर में देव तेल चढ़ाया जाता है।

**चुनमाटी लाना** — परिवार के सदस्यों एवं संबंधी पुरूष मंहिलायें जा कर नियत स्थल पर पूंजा कर मिट्टी लाते है। इस मिट्टी को घर लाकर मंडप के मध्य में चौरा (चबूतरा) बनाते है एवं कलश में मिट्टी, गोबर का लेप कर धान से कलश को सजाते है। चोरा या चबूतरा में चारो ओर रूक्खी दिया, कलश लगाते हैं व रूक्खी दिया के चारों ओर धागा से चौकोर घेरा बना देते है।

▪ **चिरचौली**— मंडप के मध्य की सजावट के पश्चात दोनो पक्ष में गौरी पूजा करते हैं। इसे चिरचौली पूजा कहते हैं।

इसके बाद दोनों पक्ष अपने—अपने घर में वर—वधू को तेल चढ़ाते हैं, इस रस्म के लिये तेल में हल्दी मिलाते हैं तथा दोनों हाथों में आम पत्ते से चढ़ाते हैं। इसमें वर—वधू के निकट संबंधी स्त्रियॉ जैसे— भाभी, चाची, मामी आदि तेल चढ़ाते हैं। इस रस्म में वर/वधू को 'मांडो' (मंडप) में बैठाकर निकट संबंधी स्त्रियॉ हाथों में तेल लेकर पैर से लेकर सिर तक शरीर में सात बार छूकर तेल चढ़ाती हैं।

इसके बाद तेल उतारने का रस्म होता है। तेल उतारने के बाद वर/वधू को स्नान कराया जाता है।

▪ **बारात**— वर को स्नान के पश्चात् बारात के लिये तैयार करते हैं। बारात में वर के साथ निकट संबंधी, रिश्तेदार व ग्रामवासी जाते हैं। बारात विदा करने से पूर्व मॉ/भाभी अपने सिर में दिया सहित कलश रखकर दोनों हाथ में आम पत्ता में लेकर सात बार वर की परिक्रमा करती है। प्रत्येक परिक्रमा के बाद आम के पत्ते को वर के पैर, घुटना, कमर, हाथ, कोहनी, कंघा तथा सिर में लगाती है अर्थात् सात परिक्रमा व वर को सात बार आम पत्ते से छूते हैं। इसके बाद वर सभी को

प्रणाम करता है तथा बारात प्रस्थान होता है। बारात के समय दूल्हा अपने हाथ में 'खांडा' (तलवार) पकड़ता है।

▪ **बारात का स्वागत (परधाना)** – बारात के वधू के ग्राम पहुॅचने पर वधू के पिता–माता, संबंधी बारात स्वागत के लिये जाते है। बारात स्वागत के लिये नियत स्थल पर वधू की माता सिर में कलश लेकर जाती है व वर का सात बार परिक्रमा कर वर के पैर, घुटना, कमर, हाथ, कोहनी, कंघा तथा सिर कुल सात अंगों में लगाती है इसके बाद वर व बारात को विवाह स्थल पर ले जाते है।

▪ **माय पानी**– बारात को विवाह स्थल पर ले जाकर वर को मंडप में बिठा देते हैं। इसके बाद माय पानी रस्म होता है। माय पानी रस्म के लिये वर–वधू के माता पिता उपवास रखते है। इसमें वर–वधू के माता–पिता दो–दो 'कोंडी' (मिट्टी की छोटी हंडी) लेकर जल स्त्रोत से पानी लेने जाते हैं। जल स्त्रोत के किनारे 'बाना'(चांवल आटा की रंगोली) बनाकर उस पर 'कोंडी' को रखकर पूजा करते हे। इसके बाद राउत जाति का व्यक्ति पानी लेकर आता है व वर–वधू के माता–पिता राउत से 10–20 रूपये देकर पानी खरीदते है। इसके बाद 'कोंडी' मे ंपानी लेकर मंडप में आते हैं। मंडप में सीका की सहायता से पानी भरे कोंडी को लटका देते हैं।

▪ **लाई फोड़ना**– माय पानी रस्म के समय मंडप में वर की बहिन 'मांडो' (मंडप) के किनारे चूल्हा में आग जलाकर धान से लाई बनाती है।

▪ **अंगूठी रस्म**– लाई रस्म के बाद वधू की बड़ी बहिन वर का पैर धुलाती है। इसके बाद बडी बहिन वर के सीधे हाथ के अनामिका में 'मूंदी' (अंगूठी) पहनाती है। इस समय वर सास को सास पाटा देता है।

इसके बाद वधू को 'मांडो' (मंडप) में लाते है व वधू को कपड़ा, मउड़, साडी, खिलवां, माला आदि श्रृंगार का सामान आदि देते है। इसके बाद वधू को अंदर ले जाकर वर पक्ष की ओर से लाये गये वस्त्र व श्रृंगार सामान से तैयार कर 'मांडो' (मंडप) में लाते हैं। 'मांडो' (मंडप) में वर–वधू एक–दूसरे के सामने बिठाकर बीच में परदा लगा देते हैं। वर–वधू के साथ उनके पिता बैठते हैं। दोनों पक्ष के 'सगा' (विवाह संबंधी) वर–वधू का हाथ पकड़े रहते है।

इसके बाद थोड़ी दूर जाकर 'सगा' (विवाह संबंधी) लोग छह बार **"एक घड़ी, दू घड़ी, लगिन घड़ी, बरतमान, सात दान"** तथा सातवें बार **"एक घड़ी, दू घड़ी, लगिन घड़ी,**

**बरतमान, कन्या दान, सात दान"** तेज आवाज में घोषणा करते हैं। इसी समय कपड़े का परदा हटा देते हैं व वधू के दोनों हथेली को वर के दोनों हथेली से मिला देते हैं।

वधू के हथेली में गुंथा हुआ चांवल आटा का गोला रहता है उसके नीचे वर की हथेली रहता है। जिसे धागा से सात बार लपेट देते है। उसी धागा को दोनों के मऊड़ से सात बार लगाते है। इसके बाद वर के साफा या पगड़ी के एक छोर व वधू के साड़ी के आंचल में हल्दी, चांवल व सिक्का या रूपये रखकर 'लगिन गांठ' बांधते है।

▪ **कन्या दान**– 'लगिन गांठ' के बाद वर–वधू के पांव के नीचे पीढा व थाल रखकर वधू के माता–पिता, वर–वधू को हल्दी–चॉवल से टीका लगाकर पानी से पैर धोते है। इसे कन्या दान कहते है। इसके बाद वर–वधू को एक साथ बैठाते है व 'सगा' (विवाह संबंधी) लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा कर वर–वधू से 'जायग' (हवन) करवाते है।

▪ **टिकान**– हवन के बाद 'टिकान' होता है, इसमें सगे–सबंधी व ग्रामीण वर–वधू को टीका लगाकर भेंट देते हैं।

**लगन व भांवर**– टीकान रस्म के बाद 'लगन' होता है। इसमे वधू आगे रहती है व वर को पीछे वधू के दोनों हाथों के नीचे हाथ रखता है। वधू के हाथ में छोटा टुकना, सूपा में कपड़ा रखते है व लाई देते है। यह कपड़ा साला को देते हैं। इसे 'साला जांवर' अर्थात साला का जोड़ा कहते है। इसके बाद सात भांवर (फेरे) होते हैं। सभी सात फेरे में वधू आगे व वर पीछे रहता है। फेरे पूर्ण होने के बाद कोंडी का पानी वर–वधू को छिड़कते है। इसके बाद परिणय पूर्ण माना जाता है। इसके बाद वधू के घर दोनो को ले जाकर तैयार दाल चॉवल (खिचड़ी) खिलाते है।

इसके बाद वर–वधू के पिता पूरे समाज का पैर धुलाकर अभिवादन करते हैं।

▪ **अंजरी चांवल रस्म**– अंजरी चांवल रस्म में घर के अंदर वधू के हाथ में धान व आटे का दिया रखते हैं व वर पीछे से वधू के दोनों हाथों के नीचे हाथ रखता है। इसके बाद उल्टे दिशा में चलते हुए घर से बाहर निकलते हैं।

▪ **नमक छुटने का रस्म**– अंजरी चांवल रस्म के दौरान बाहर निकलते समय माता–पिता के घर का नमक छुटने का रस्म होता है। इसमें लड़की के मुँह में इस घर का नमक छुटने के लिये थोड़ा सा नमक मुंह छुआते है तथा आज से कन्या के प्रति पिता–माता अपनी जिम्मेदारी पूर्ण मानते

है। व कन्या के सुख–दुख को वर की जिम्मेदारी मानते है।

इसके बाद बारात विदाई होती है। वर के घर पहुॅचने पर द्वार पर बारात परघाते हैं। वर की माता सिर पर कलश व दिया रखकर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिक्रमा कर सिर से पैर सात बार आम पत्ते से उतारती है। बारात स्वागत व परघाने के बाद वर–वधू को घर के अंदर लाते है। घर के अंदर माय पानी का दोनों कोंडी, कलश, खांडा, पितर देव, गौरी की पूजा करते है व 'कोंडी' वर की माता को देते है। जिसे वह आंचल में लेती है।

इसके बाद वर–वधू को बिठाकर पांच सगा/सियान पुरूष या स्त्री लगिन गॉठ की हल्दी सुपाड़ी को खोलकर निकालते है। शाम को वर–वधू को बिठाकर टिकान करते है। जिसमें सभी उपस्थित जन वर–वधु के माथे में हल्दी–चॉवल का टिका लगाकर भेंट देते है इसके बाद भोज होता है। इसे घर भोज कहते है।

**ब. घरजियां बिहा (परीवीक्षा विवाह)**

हल्बा जनजाति में घरजियां बिहा प्रचलित है। इसमें वर को एक निश्चित अवधि तक कन्या के घर में परीवीक्षा में रहना पड़ता है, जिसमें सफल होने पर विवाह होता है और वर को वधू के घर में ही रहना पड़ता है। घरजियां बिहा के मुख्य दो कारण होते हैं :–

1. यदि किसी परिवार में इकलौती या कन्या संताने होना।

2. ऐसा परिवार जो गरीबी के कारण सामान्य रीति से अपने पुत्र का विवाह करने में सक्षम नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में घरजियां विवाह किया जा सकता है। घरजियां रखने को इच्छुक पिता समाज में योग्य वर की तलाश करता है और वर के पिता के समक्ष प्रस्ताव रखता है और सहमति मिलने पर वर को अपने घर ले जाता है। वहां लड़के को पूर्व में तय समय के आधार पर 3–5 वर्ष सेवा देना पड़ता है। यदि कन्या एवं कन्या के पिता लड़के से संतुष्ट होतो है तो कन्या के घर में ही सहमति विवाह रस्म के अनुसार विवाह कर दिया जाता है।

**2. उदलिया बिहा (पलायन विवाह)**

हल्बा जनजाति में लड़का–लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा विवाह करना चाहते हैं किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते

हैं। दोनों परिवार के सदस्य लड़का–लड़की की तलाश कर पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत किया जाता है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति–पत्नी के रूप में मान्यता दिया जाता है। इसमें वर के घर में विवाह की रस्म किया जाता है। ऐसे मामले में लड़के के पिता को समाज को आर्थिक जुर्माना व भोज देना पड़ता है।

### 3. टीका बिहा (पुनर्विवाह)

हल्बा जनजाति में विधुर, विधवा तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुनर्विवाह का प्रचलन है। पुनर्विवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होता है। पुनर्विवाह टीकाकर किया जाता है। पुनर्विवाह में वर अपने निकटस्थ संबंधियों के साथ कन्या के घर जाता है, स्वागत के पश्चात् वर द्वारा लायी गयी खिलवां, चूड़ी वधू को पहना कर टीका किया जाता है। इसके बाद भोजन कराकर शाम को विदाई कर दिया जाता है।

### 5.3. मृत्यु संस्कार

हल्बा जनजाति में मृत्यु को जीवन की पूर्णता एवं अवश्यंभावी माना जाता है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर स्त्रियां विलाप करती है, जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते हैं और सभी को सूचना देते हैं। संबंधियों एवं ग्रामीणों के एकत्रित होने के पश्चात् विवाह संबंधी 'टरंडी' (अर्थी) बनाते हैं। इसमें शव को रखकर नये सफेद वस्त्र से ढंक देते हैं। शव यात्रा के श्मसान पहुचने के पूर्व किसी तिराहे या चौराहे पर शव को रखकर सभी उपस्थित जन शव के सिर से पैर तक तेल–हल्दी लगाते हैं। हल्बा जनजाति में शवदाह व दफनाने की प्रथा है। शव यात्रा के श्मसान में पहुंचने पर सगा या दूसरे गोत्र के सदस्य कब्र खोदते हैं।

इसके बाद शव को कब्र में रखने के पूर्व सात परिक्रमा लगाते है। कब्र में सिर उत्तर व पैर दक्षिण की ओर रखकर मृतक का पुत्र या पिता या भाई या पति सर्वप्रथम शव पर मिट्टी डालता है। इसके बाद संबंधी तथा ग्रामीण एक–एक मुठ्ठी मिट्टी शव पर डालते हैं तथा शव को मिट्टी से पूरी तरह ढ़ंक दिया जाता है। मिट्टी देने का प्रथम अधिकार मृतक पिता होने पर बड़े पुत्र को, मृतक माता होने पर सबसे छोटे पुत्र को, निःसंतान स्त्री की मृत्यु होने पर पति, मृतक निःसंतान विधवा होने पर जेठ या देवर का पुत्र प्रथम मिट्टी देता है। शव दाह करने पर बड़ा पुत्र/पिता/पति अग्नि देता है। इसके पश्चात् श्मसान से सभी नदी या तालाब में नहाने जाते हैं तथा नहाने के बाद कतार में मृतक के

घर जाते हैं। घर आने पर गुड़ पानी (पना पानी) दिया जाता है।

### 5.3.1 तीज नहान

मृत्यु के तीसरे दिन 'तीज नहान' या 'तीज' होता है। इस दिन संबंधी एवं ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं और सभी कतार में जाकर नदी या तालाब में जाते है। इस दिन में परिवार के दो–तीन पुरूषों को छोड़कर शेष सभी पुरूष सदस्यों का मुंडन होता है। मुंडन के बाद सभी नहाकर मृतक के घर आते हैं। इसके बाद 'बिसरान छुआनी' रस्म होता है। तीज नहान के दिन से मृतक का परिवार शुद्ध माना जाता है। तीसरे दिन शवदाह या दफनाये गये स्थान पर मठ बनाते हैं। यदि 'नहानी' या 'क्रियाकर्म' के पश्चात कोई व्यक्ति मठ को छुता है तो उसे समाज से बहिष्कृत करते हैं।

### 5.3.2 नहानी / क्रियाकर्म

मृत्यु के पांचवें दिन 'नहानी' या 'क्रियाकर्म' होता है। पूर्व में 'नहानी' या 'क्रियाकर्म' स्त्री होने पर 9 वें दिन व पुरूष होने पर 10 वें दिन मे होता था। आजकल पांचवें दिन में करते है। इस दिन सभी लोग एकत्र होकर तालाब जाते हैं। तालाब में मुंडन करवाते है व वापस आकर तेल लगाते है। इसके पश्चात मृतक की आत्मा की शांति के लिये हवन करते हैं। मृतक की आत्मा की शांति व मुक्ति के लिये भांजा को गाय, पैसा, छाता, चॉवल, कपड़ा, टंगिया, हंसिया, चाकू आदि दान देते है। इसके बाद सभी को भोज देते है।

भोज के बाद सुदेश रस्म करते है। इस रस्म में समाज के सदस्य गमछा लेकर आते है। मृतक के कुटुम्ब परिवार के पुरूष सदस्यों को बैठाकर गमछा से सिर पर पगड़ी बांधते है। इसे 'मुड बांधा' कहते है। पहले गॉव का पुजारी सिर पर पगड़ी बांधता है फिर सभी बांधते है व शोकाकुल परिवार को दुख सहने व इस दुख से उबरने की समझाईश देते हैं।

**********

## अध्याय – 6
# सामाजिक जीवन

प्रत्येक समाज अनेक इकाईयों से मिलकर बना होता है, ये उप इकाइयाँ व्यवस्थित व क्रमबद्ध होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं। सामाजिक जीवन में व्यक्ति, परिवार तथा समाज का संपूर्ण ताना–बाना बुना होता है। इसमें जनजाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित है। सामाजिक जीवन की संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। हल्बा जनजाति की सामाजिक जीवन का विवेचन इस प्रकार है–

### 5.1. जनजाति

जनजाति, परिवार या परिवारों का ऐसा समूह है, जो एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, जिसकी विशिष्ट बोली या भाषा हो तथा जो विवाह, व्यवसाय तथा धर्म के क्षेत्र में कुछ नियमित नियमों तथा निषेधों का पालन करता हो। जनजाति अपने सदस्यों को एक विशेष सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करती है, जिसमें आजीवन परिवर्तन संभव नही है। जनजातियों में जातिगत विशिष्टता के आधार उच्चता एवं निम्नता तथा सामाजिक दूरी पायी जाती है।

रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ "The Tribes and Castes of the Central Provinces of India" (1916) vol.- III के पृष्ठ 185–186 में हल्बा जनजाति की उपजातियों के संबंध में वर्णित है कि– "The caste have local divisions known as Bastarha, Chhattisgariha and Marethia, according as they live in Bastar, Chhattisgarh and Bhandara and the other Maratha districts. The last two groups, however, intermarry, so only the Bastar Halbas really form a separate subcaste. But the caste is also everywhere divided into two groups of pure and mixed halbas. These are known in Bastar and Chhattisgarh Purait or Nekha, and Surait or Nayak, respectively, and in Bhandara as Barpangat and Khalpangat or those are good and bad stock................ These two sets of groups do not intermarry." अर्थात् बस्तर, छत्तीसगढ़, भंडारा तथा अन्य मराठा जिलों में निवास आधार पर इस जाति के तीन स्थानीय विभाजन बस्तरहा, छत्तीसगढ़िया तथा मरेठिया है। अंतिम दो उप समूह आपस अंतर्विवाही हैं, इस प्रकार बस्तर हल्बा वास्तविक रूप में पृथक उपजाति है। लेकिन प्रत्येक स्थान पर यह जाति शुद्ध एवं मिश्रित हल्बा दो उपवर्ग में विभाजित है। बस्तर तथा छत्तीसगढ़ में इसे पुरीत या नैका तथा सुरीत या नायक के नाम

से तथा भंडारा में बारपंगत तथा खालपंगत कहते हैं।...............ये दोनों समूह आपस में विवाह नही करते हैं।

लाला जगदलपुरी (1994) ने अपने ग्रंथ "बस्तरः इतिहास एवं संस्कृति" के पृष्ठ 84 में लिखा है कि "बस्तर अंचल में हल्बा जनजाति दो वर्गों में बंटी हुई है। पुरित और सुरित। पुरित वर्ग के हल्बे अपने को सुरित वर्ग के हल्बों से श्रेष्ठ मानते हैं। इन दोनों वर्गों के बीच रोटी–बेटी का संबंध प्रायः नही होता। पुरित हल्बा के घर सुरित हल्बा भोजन कर लेता है, परंतु सुरित हल्बा के घर पुरित हल्बा बिना नमक का ही भोजन ग्रहण कर सकता है।"

प्रस्तुत अध्ययन के दौरान हल्बा जनजाति की दो उपजातियॉ– पुरीत एवं सुरीत पायीं गयी। सर्वेक्षित हल्बा परिवारों का उपजाति अनुसार विवरण सारणी क्रमांक 6.1 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रमांक 6.1**

**सर्वेक्षित हल्बा परिवारों का उपजाति अनुसार विवरण**

| क्र. | उपजाति | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | पुरीत | 147 | 57.65 |
| 2. | सुरित | 108 | 42.35 |
| | योग | 255 | 100 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में से 57.65 प्रतिशत परिवार हल्बा जनजाति के पुरीत उपजाति के हैं जबकि 42.35 प्रतिशत परिवार सुरीत उपजाति के पाये गये।

## 6.2. भातृ दल

हल्बा जनजाति अनेक भातृ दल में विभाजित है, जिसे थोक के नाम से संबोधित किया जाता है। एक थोक में एक या एकाधिक गोत्रों का समावेश होता है। थोक में सम्मिलित गोत्रों के सदस्य आपस में भाई मानते हैं तथा थोक बहिर्विवाही होता है।

## 6.3. गोत्र

हल्बा जनजाति अनेक गोत्रों में विभाजित है। गोत्र को 'बस' कहा जाता हैं। हल्बा जनजाति के गोत्र के टोटम होते है अर्थात प्रत्येक गोत्र के प्रतीक होते है। यह प्रतीक प्राकृतिक वस्तु, वनस्पति, जीव–जंतु आदि होते हैं। जैसे– नाग गोत्र का नाग सर्प, बेलसरिया गोत्र का बेल वृक्ष आदि होते हैं। प्रत्येक गोत्र के जन्म संबंधी अनेक किवंदती प्रचलित होती है। एक गोत्र के सदस्य आपस में रक्त

संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है अर्थात समान गोत्र में विवाह निषेध है। किसी विशिष्ट देवी या देवता को एक गोत्र के सदस्य मुख्य देव मानता है, जिसके वार्षिक या त्रिवार्षिक पूजा में गोत्र के सदस्य मुख्य देव/देवी स्थल में उपस्थित होते हैं। हल्बा जनजाति में समान गोत्र में अपनत्व, बंधुत्व तथा एकता की भावना पायी जाती है। यदि कोई दंपत्ति संतानहीन हैं तो दत्तक हेतु स्वगोत्रीय को प्राथमिकता देते हैं। समाज में किसी परिवार में जन्म, विवाह तथा मृत्यु होने पर विभिन्न संस्कार कार्य में विवाही गोत्र के सदस्य सेवा देते हैं।

अखिल भारतीय हल्बा समाज की सामाजिक पत्रिका(2007) के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर हल्बा जनजाति के गोत्र निम्न हैं –

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. अलनिया | 2. अरोसिया | 3. बकड़िया | 4. बेलगैया | 5.बिसेन | 6. बढ़ई |
| 7. बेलोदिया | 8. बघेल | 9. बिसन्दा | 10.बेलसरिया | 11. बोरझरिया | 12. भंडारी |
| 13. भेड़िया | 14. भोयर | 15.बाकड़ा | 16. बेसरा | 17. बुढ़ाकरिया | 18. भोय |
| 19. भाऊ | 20.चनाप | 21. चुरपाल | 22. चुरगिया | 23. चोरिया | 24. चिझण्डा |
| 25.चालकी | 26. चिराम | 27. बांगा चोरिया | 28. धनेलिया | 29. देहारी | 30.दिवान |
| 31. धकरिया | 32. गांवर | 33. धरत | 34. गुरूवर | 35.गुनागहिया | 36. गागड़ा |
| 37. घुमरा | 38. फूटान | 39. जमजांर | 40.झाकर(सोम) | 41. कोठेवार | 42.कुदराम |
| 43. कड़ियाम | 44. कोरोटिया | 45.कुपाल | 46. कोसमा | 47. कोलियारा | 48. कुंवर |
| 49. खवास | 50.महला | 51. मांझी | 52. लेकाल | 53. मकरिया | 54. नाईक |
| 55.नड़वास | 56. नेगी | 57. पवार | 58. पुजारी | 59. प्रधान | 60.पात्र |
| 61. पुंगड़ा | 62. राना | 63. राउत | 64. रावट | 65.शिवनिया | 66. सहरा |
| 67. शांडिल्य | 68. समरथ | 69. साहनी | 70. सरफे | 71. साहरा | 72. तिरसुनिया |
| 73. तारम | 74. सिकसोरिया | 75. वैध. | | | |

अध्ययन के दौरान सर्वेक्षित ग्रामों में निवासरत परिवारों में 15 गोत्र पाये गये। उपरोक्त सूची में शामिल गोत्र के अतिरिक्त कश्यप गोत्र पाया गया। सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में पाये गये गोत्र का विवरण सारणी क्रमांक 6.2 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रमांक– 6.2**
**सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में गोत्र का वितरण**

| क्र. | गोत्र | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | नाग | 63 | 24.71 |
| 2. | भारद्वाज/बाकड़ा | 57 | 22.35 |
| 3. | शार्दुल | 40 | 15.69 |
| 4. | शांडिल्य | 24 | 9.41 |
| 5. | मांझी | 18 | 7.06 |
| 6. | कुदराम | 13 | 5.10 |
| 7. | बघेल | 10 | 3.92 |
| 8. | बेलसरिया | 7 | 2.74 |
| 9. | कुंवर | 7 | 2.74 |
| 10. | कश्यप | 4 | 1.57 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 24.71 प्रतिशत नाग गोत्र के हैं तथा सबसे कम 0.39 प्रतिशत दहारी गोत्र के परिवार है। शेष भारद्वाज/बाकड़ा, शार्दुल, शाडिल्य, मांझी कुदराम, बघेल, बेलसरिया, कुंवर, कश्यप, मांयर, सोम, समरथ तथा भंडारी गोत्र के सदस्य पाये गये।

| क्र. | गोत्र | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 11. | भोयर | 4 | 1.57 |
| 12. | सोम | 3 | 1.18 |
| 13. | समरथ | 2 | 0.78 |
| 14. | भंडारी | 2 | 0.78 |
| 15. | देहारी | 1 | 0.39 |
| | योग | 255 | 99.99 |

### 6.4. परिवार

परिवार. हल्बा समाज की प्रारंभिक तथा आधारभूत इकाई है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण एवं संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में एक या अधिक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं। हल्बा परिवारों में परिवार के वरिष्ठ पुरूष सदस्य मुखिया होते हैं। पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय मुखिया द्वारा किया जाता है। हल्बा जनजाति में एकल या केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। संयुक्त परिवार, युवा सदस्यों के विवाह पश्चात् एकल तथा विस्तृत परिवार में विघटित हो जाता है। हल्बा जनजाति में पाये जाने वाले परिवार का वर्गीकरण सारणी क्रमांक–6.3 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रमांक – 6.3**

**हल्बा परिवार का वर्गीकरण**

| क. | आधार | प्रकार | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | संरचना | केन्द्रीय या एकल | संयुक्त | विस्तृत |
| 2. | सत्ता | पितृसत्तात्मक | – | – |
| 3. | वंश परंपरा | पितृवंशीय | – | – |
| 4. | उत्तराधिकार | पित्ाृधिकार | – | – |
| 5. | आवास | पितृस्थानीय | नवस्थानीय | – |
| 6. | विवाह संख्या | एकल विवाही | बहुपत्नी विवाही | – |

उपर्युक्त सारणी से हल्बा जनजाति परिवार की रचना स्पष्ट है। हल्बा जनजाति में संरचना के आधार पर केन्द्रीय या एकल, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। केन्द्रीय या एकल परिवार में पति–पत्नी व उनके अविवाहित संतान निवास करते हैं, संयुक्त परिवार में माता–पिता, उनके विवाहित संतान व उनके बच्चे निवास करते हैं अर्थात संयुक्त परिवार में एक साथ तीन पीढ़ी या अधिक सदस्य निवास करते हैं। विस्तृत परिवार में एक ही भू–भाग पर एक परिवार के विवाहित सदस्य अपने एकल परिवारों के साथ अलग–अलग निवास करते हैं।

हल्बा परिवारों में अधिकार या सत्ता पुरूष के पास होता है अर्थात् हल्बा परिवार पितृसत्तात्मक प्रकृति के होते हैं। हल्बा परिवार पितृवंशीय एवं पितृ अधिकार युक्त होते हैं। हल्बा समाज में वंशनाम पुरूष के नाम पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। आवास के आधार पर हल्बा जनजाति परिवार पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं अर्थात विवाह के पश्चात हल्बा दम्पत्ति वर

के पिता के आवास पर या नये आवास में निवास करते हैं। हल्बा परिवार एकल विवाही परिवार तथा बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं।

### 6.4.1. परिवार की संरचना

परिवार की संरचना के आधार पर हल्बा जनजाति में एकल, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। सर्वेक्षित हल्बा परिवार की संरचना सारणी क्रमांक 6.4 में प्रदर्शित है।

**सारणी क्रमांक 6.4**

**परिवार की संरचना**

| क्र. | प्रकार | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | एकल परिवार | 219 | 85.88 |
| 2. | संयुक्त परिवार | 36 | 14.12 |
| | योग | 255 | 100 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवार में 85.88 प्रतिशत परिवार एकल या केन्द्रीय परिवार तथा 14.12 प्रतिशत परिवार संयुक्त परिवार है।

### 6.4.2. परिवार का आकार

सर्वेक्षित हल्बा परिवार में परिवार के स्वरूप, प्रकार के अनुसार सदस्य संख्या पाया जाता है। एकल तथा नवस्थानिक परिवार में सदस्य संख्या कम होती है जबकि संयुक्त परिवारों में सदस्य संख्या अधिक होती है। सदस्य संख्या के आधार पर सर्वेक्षित हल्बा परिवार के आकार का विवरण सारणी क्रमांक 6.5 में दर्शाया गया है–

**सारणी क्रमांक 6.5**

**परिवार का आकार**

| क्र. | सदस्य संख्या | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1 | 2 या कम | 4 | 1.57 |
| 2 | 2 – 4 | 26 | 10.20 |
| 3 | 5 – 6 | 143 | 56.08 |
| 4 | 7 – 8 | 71 | 27.84 |
| 5 | 9 – 10 | 8 | 3.14 |
| 6 | 11 – 12 | 1 | 0.39 |
| 7 | 12 से अधिक | 2 | 0.78 |
| | **योग** | **255** | **100** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 56.08 प्रतिशत परिवारों में 5–6 सदस्य है जबकि न्यूनतम 0.39 प्रतिशत परिवार में 11–12 सदस्य हैं। सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में कुल सदस्य संख्या 1309 है। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों की औसत सदस्य संख्या या प्रति परिवार औसत सदस्य संख्या 5.13 या लगभग 5 है।

### 6.3.3.पारिवारिक सम्बन्ध

हल्बा परिवार में अनेक सदस्य होते हैं, जो विभिन्न संबंधों या रिश्तों से एक–दूसरे से जुड़े होते हैं। इन सदस्यों के मध्य स्नेह, ममता, आदर, परिहार, परिहास के संबंध होते हैं। हल्बा परिवार में विभिन्न सदस्यों के मध्य संबंध निम्नानुसार दर्शाया गया है–

### 1. माता–पिता

बच्चे के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात् माता–पिता बच्चे की देखभाल, पालन–पोषण, दैनिक तथा जीवन की शिंक्षा देते हैं। बच्चों के विवाह योग्य होने पर उनका विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात् माता–पिता बच्चों के गृहस्थ जीवन के व्यवस्थित होने तक उचित मार्गदर्शन देते हैं एवं निगरानी रखते हैं।

### 2. पति–पत्नी

हल्बा जनजाति में पति–पत्नी का संबंध मधुर, प्रेमयुक्त तथा दायित्वपूर्ण होता है। पति–पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करते हैं। पति परिवार के आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तो पत्नी परिवार के दैनिक कार्यों, साफ–सफाई, बच्चों की देखभाल, भोजन बनाने के साथ–साथ कृषि, ईंधन, संकलन आदि कार्यों में सहयोग करती है। पति–पत्नी मिलकर माता–पिता तथा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल तथा सेवा–सुश्रुषा करते हैं।

### 3. पिता–पुत्र

पिता–पुत्र का संबंध स्नेह अनुशासन व नियंत्रण का होता है। पिता किशोरावस्था से पुत्र को आर्थिक कार्यों जैसे– कृषि, पशुपालन, संकलन आदि कार्य में प्रशिक्षित करता है। पिता–पुत्र के प्रति आदर भाव रखता है। उनकी आज्ञापालन के साथ–साथ मार्गदर्शन भी लेता है। पुत्र वृद्धावस्था में पिता की देखभाल करता है।

### 4. पिता–पुत्री

पिता–पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। पिता–पुत्री में पिता–पुत्र की अपेक्षा

अधिक स्नेह भाव रखता है। पिता किशोरावस्था से ही उसे भावी जीवन की शिक्षा देता है, विवाह के पश्चात् नये परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बनाने की सीख देता है। पुत्री के विवाह योग्य होने पर योग्य वर से उसका विवाह कर पुत्री के सुखी जीवन की कामना करता है।

**5. माता–पुत्र**

माता–पुत्र का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। माता का पुत्री की अपेक्षा पुत्र से भावनात्मक जुड़ाव व अधिक होता है। माता पुत्र का पालन–पोषण, देखभाल पूर्ण मनोयोग से करती है। माता पुत्र को समाज–परिवार के नियम, परम्पराओं की शिक्षा देती है। पुत्र माता की आज्ञा पालन करता है। माता की देखभाल पूर्ण श्रद्धा से करता है।

**6. माता–पुत्री**

माता–पुत्री का संबंध वात्सल्य पूर्ण होता है। माता पुत्री को बाल्यावस्था से ही घरेलू कार्य, सामाजिक–आर्थिक कार्य सिखाती है। माता पुत्री को पराया धन मानकर ससुराल के नये परिवेश में सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाने व सुखी जीवन हेतु शिक्षित करती है।

पुत्री–माता को आदर्श मानकर माता की शिक्षा को जीवन में अपनाने का प्रयास करती है। युवावस्था के पश्चात् माता–पुत्री के संबंध मित्रवत् हो जाते हैं। माता–पुत्री में विवाह के उपरांत विछोह का कष्ट रहता है किन्तु पुत्री के प्रति अपने कर्त्तव्य की पूर्ति का सुख भी रहता है।

**7. भाई–भाई**

भाई–भाई के मध्य संबंध प्रेमपूर्ण तथा मित्रवत् होता है। छोटा भाई बड़े भाई का आदर व सम्मान करता है। तथा बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति स्नेह भाव रखता है। पारिवारिक सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों का निर्वहन साथ–साथ करते हैं। विवाहोपरांत अलग होने पर भी भाईयों में स्नेह बना रहता है। कुछ परिवारों में विवाहोपरांत पारिवारिक तालमेल न होने एवं सम्पत्ति विवाद के कारण तनाव भी रहता है।

**8. भाई–बहन**

भाई–बहन का संबंध स्नेह पूर्ण होता है। भाई–बहन एक साथ खेलते–सीखते हैं। कई एकल परिवारों में माता–पिता आर्थिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बड़े भाई / बहन, छोटे भाई / बहनों का घर में देख रेख करते हैं। विवाह के पश्चात् भी भाई–बहन के संबंध यथावत् बने रहते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख–दुख की जानकारी लेते रहते हैं।

**9. बहन–बहन**

बहनों का आपसी संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ी बहन छोटी बहन को घेरलू कार्य सिखाती है तथा छोटी बहन बड़ी बहन के कार्यों में सहयोग करती है। बड़े होने पर विवाह के उपरांत भी बहनों में स्नेहभाव बना रहता है।

**10. सास–बहू**

सास–बहू का संबंध आदर–सम्मान, कर्त्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित है। सास अपनी बहु से आदर–सम्मान, पारिवारिक कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों के बखूबी निर्वहन की अपेक्षा रखती है। सास–बहू में आपसी तालमेल अच्छा रहने पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। कई परिवारों में सास–बहू एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के कारण आपसी संबंधी तनावपूर्ण हो जाते हैं।

**11. ससुर–बहू**

ससुर बहू के संबंध परिहार संबंध में आते हैं। बहु ससुर का पिता तुल्य आदर–सम्मान करती है।

**12. देवर–भाभी**

देवर–भाभी का संबंध परिहास संबंध की श्रेणी के अंतर्गत है। देवर–भाभी के संबंध स्नेह पूर्ण तथा मित्रवत होते हैं।

**13. ननद–भाभी**

ननद भाभी का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। दोनों एक–दूसरे की आवश्यकता एवं अपेक्षा की पूर्ति का प्रयास करते हैं। ननद के विवाह के पश्चात् ननद–भाभी के संबंध अधिक मधुर हो जाते हैं। कई परिवारों में ननद–भाभी के मध्य सामंजस्य न होने की स्थिति में पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है।

हल्बा जनजाति में पारिवारिक संबंध मजबूत पाये जाते हैं। प्रत्येक सदस्य एक–दूसरे के प्रति आदर–सम्मान व कर्त्तव्य का भाव रखता है। सर्वेक्षण के दौरान पाये गये एकल तथा परिवार की संख्या उपरोक्त धारणा को पुष्ट करते हैं।

**6.4. नातेदारी**

हल्बा जनजाति में नातेदारी को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है –

### 6.4.1. नातेदारी प्रकार

हल्बा जनजाति में नातेदारी सम्बन्ध दो प्रकार के हैं –

### अ. रक्त संबंधी नातेदारी

हल्बा जनजाति में रक्त संबंधी नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत ऐसे पारिवारिक सदस्य शामिल हैं जो आपस में रक्त सम्बन्ध के आधार पर संबंधित हो। जैसे– माता–पिता, भाई–भाई, भाई–बहन आदि।

### ब. विवाह संबंधी नातेदारी

हल्बा जनजाति में विवाह संबंधी नातेदारी श्रेणी के अन्तर्गत विवाह द्वारा एक दूसरे से संबंधित सदस्य तथा दोनों परिवार के सदस्य शामिल हैं। जैसे– पति–पत्नी, सास–ससुर, जीजा, साला आदि।

### 6.4.2. नातेदारी श्रेणी

हल्बा जनजाति में नातेदारी श्रेणी निम्न है –

### अ. प्राथमिक सम्बंधी

प्राथमिक सम्बंधी से तात्पर्य ऐसे संबंधी से है जो प्रत्यक्ष रूप से एक–दूसरे से जुड़े हैं जैसे– पति–पत्नी, पिता–पुत्र, भाई–भाई, बहन–बहन, भाई–बहन आदि।

### ब. द्वितीयक सम्बंधी

द्वितीयक संबंधी से तात्पर्य ऐसे सम्बंधी से है जो किसी व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी हो। जैसे– चाचा एवं भतीजा एक दूसरे के द्वितीयक संबंधी होंगे क्योंकि चाचा का भाई अर्थात् लड़के का पिता आपस में प्राथमिक सम्बन्धी हैं उसी तरह पिता–पुत्र आपस में प्राथमिक सम्बन्धी हैं। अतः व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी व्यक्ति का द्वितीयक संबंधी होगा।

### स. तृतीयक सम्बंधी

किसी व्यक्ति के द्वितीयक सम्बंधी का प्राथमिक सम्बंधी व्यक्ति का तृतीयक सम्बंधी होगा।

### 6.4.4. नातेदारी रीतियाँ

हल्बा जनजाति में कुछ संबंधियों के मध्य विशेष प्रकार की नातेदारी रीतियाँ या व्यवहार प्रचलित हैं, जो निम्न हैं –

## अ. परिहास सम्बन्ध या निकटागमन

हल्बा जनजाति में परिहास संबंध को "हँसी नाता" कहते हैं। परिहास सम्बन्ध में कुछ विवाह संबंधियों में हास–परिहास के कारण आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं। यह संबंध आपसी रिश्ते को निकटता तथा मजबूती प्रदान करता है। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। संबंधियों में यह मान्य है –

1. देवर – भाभी
2. जीजा – साली, साला
3. समधी – समधन
4. नाना–नानी – नाती–नातिन
5. दादा–दादी – नाती–नातिन

## ब. परिहार संबंध या निकटाभिगन

हल्बा जनजाति में परिहास संबंध के विपरीत परिहार संबंध पाया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट वैवाहिक संबंधियों को दूर रखा जाता है। परिहार संबंध में प्रत्यक्ष बातचीत नही किया जाता है, एक–दूसरे को स्पर्श करना वर्जित है। इन नियमों का अनिवार्य रूप से परिहार संबंधियों को पालन करना पड़ता है। हल्बा जनजाति में परिहार संबंध इस प्रकार हैं –

1. जेठ – बहू
2. ससुर – बहू
3. सास – दामाद
4. दामाद – डेढ़सास

## स. माध्यमिक सम्बोधन

हल्बा जनजाति में कुछ संबंधियों द्वारा परस्पर संबोधन हेतु किसी माध्यम जैसे– बच्चे, ग्राम आदि का सहारा लेकर सम्बोधित किया जाता है। इस प्रकार माध्यमिक संबोधन पति–पत्नी, भाई–बहू, दामाद, सास, ससुर हेतु उपयोग किया जाता है। पति अपनी पत्नी को बुलाने हेतु बच्चे या पत्नी के मायके ग्राम के नाम का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में माध्यमिक संबोधन का प्रचलन कम हो रहा है। पति–पत्नी को नाम से संबोधित करने लगे हैं। पत्नी शासकीय तथा अन्य आवश्यक कार्य होने पर पति का नाम लेने लगी है।

## द. मित/मितान संबंध

हल्बा जनजाति में नातेदारी संबंधों के अतिरिक्त स्व जातीय या भिन्न जनजातियों से निकटता दर्शाने वाले मित/मितान संबंध भी पाये जाते हैं। यह मित्रता संबंध है जो दो व्यक्ति तथा उसके परिवार को आजीवन एक दूसरे के निकट स्थापित कर देता है। हल्बा जनजाति में स्वजातीय तथा ग्राम में निवासरत अन्य जातीय सदस्यों से सद्भाव, घनिष्ठता तथा सहयोग के उद्देश्य से संबंध बनाते हैं। समान लिंग–आयु के दो सदस्य अपने मित्रता संबंध को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से मित–मितान संबंध बनाते हैं। मित–मितान संबंध बनाने हेतु दोनों व्यक्ति ग्रामवासियों की उपस्थिति में ग्राम देवी/देवता के समक्ष पूजा अर्चना कर सैनाव बंधन, महाप्रसाद, मितान आदि बधते हैं। हल्बा जनजाति के सदस्य भतरा, मुरिया, राउत, धाकड़ आदि जनजाति के सदस्यों से मित–मितान संबंध बनाते हैं।

## इ. अन्तर्जातीय संबंध

हल्बा जनजाति निवास क्षेत्र में ब्राम्हण, राजपूत, धुरवा, हल्बा, भतरा, मुरिया, गदबा, माड़िया, राउत, पनिका, माहरा, लोहार, तेली, धोबी, गांडा, धाकड़, कुम्हार आदि जाति–जनजाति निवासरत है। एक साथ निवास करने के कारण इन जनजातियों में पारस्परिक औपचारिक संबंध पाये जाते हैं। इस कारण ये आयु–लिंग के आधार पर सम्मान पूर्वक एक–दूसरे को नातेदारी शब्द दादा, काका आदि से संबोधित करते हैं। इन जनजातियों में जातिगत कार्यों के आधार पर पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। हल्बा जनजाति दैनिक जीवन में मिट्टी के बर्तन हेतु कुम्हार, लौह कार्य हेतु लोहार आदि जनजातियों से पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। हल्बा कृषि मजदूरी या 'मदद' (सहयोग) के रूप में अन्य जनजातियों का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रामों में विभिन्न जाति–जनजातियों में प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध पाये जाते हैं तथा एक साथ पीढ़ी–दर–पीढ़ी निवास करने के कारण आपसी सामंजस्य तथा सद्भाव पाया जाता है।

इसके साथ ही हल्बा निवासित ग्रामों में हल्बा एवं अन्य जातियों के मध्य जन्म, खान–पान तथा कार्य के आधार पर जनजातियों में स्तरीकरण व समाजिक दूरी पाया जाता है।

**********

# अध्याय – 7
# आर्थिक जीवन

हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य में राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर तथा सुकमा जिले में निवासरत हैं। यह क्षेत्र मैदानी, पहाड़ी तथा वनयुक्त होने के कारण हल्बा जनजाति के सदस्य बहु–स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। यह अध्ययन मूलतः बस्तर जिले पर आधारित है। इस क्षेत्र के हल्बा जनजाति के सदस्य कृषि, मजदूरी, लाई–चिवड़ा बनाना व बेचना, संकलन, मछली मारना, पशुपालन, नौकरी, व्यवसाय आदि कार्यों में संलग्न है। हल्बा जनजाति में उपरोक्त साधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं की यथासंभव पूर्ति किया जाता है।

## 7.1. सम्पत्ति

हल्बा जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पूर्व पीढ़ी से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है। हल्बा जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

### 7.1.1. सामूहिक सम्पत्ति

ग्राम, मंदिर, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के भौगोलिक–राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी–नाले, वन, पहाड़ आदि समुदाय की सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है।

### 7.1.2. पारिवारिक सम्पत्ति

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्जित सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति माना जाता है। इसमें पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति भी शामिल है। इसके अंतर्गत मकान, पशु, भूमि, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

### 7.1.3. व्यक्तिगत सम्पत्ति

स्व–उपयोग हेतु अर्जित अथवा क्रय किया गया अथवा प्राप्त वस्तुयें, सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता है। इसमें वाद्य यंत्र, शिकार के उपकरण, घड़ी, सायकल, मोबाइल आदि शामिल है।

### 7.2. सम्पत्ति हस्तांतरण

हल्बा जनजाति पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। हल्बा जनजाति में ज्येष्ठाधिकार की प्रथा है, जिसे 'सियान बाटा' कहते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे बड़े पुत्र को परिवार का भावी मुखिया होने एवं पारिवारिक, सामाजिक कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी होने के कारण सम्पत्ति का कुछ या एक हिस्सा ज्यादा देते हैं। शेष सभी भाईयों को समान वितरण होता है। सम्पत्ति के विभाजन में यदि माता–पिता जीवित हो तो एक भाग देते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा पुत्र कृषि करता है, माता–पिता की मृत्यु के पश्चात् यह हिस्सा सभी भाईयों में समान बांटा जाता है।

### 7.3. प्राथमिक एवं द्वितीयक आर्थिक कार्य

हल्बा जनजाति की अर्थव्यवस्था कृषि, मजदूरी, लाई–चिवड़ा बनाना व बेचना, संकलन, मछली मारना, पशुपालन, आदि पर आधारित है। इस कारण हल्बा जनजाति की आर्थिकी में एकाधिक पक्ष दिखाई देते हैं, जो मुख्यतः प्रकृति पर आधारित है। इसके सदस्यों की कार्यों में संलग्नता एवं आय की प्रमुखता के आधार पर व्यवसाय की प्राथमिकता को स्पष्ट किया जा सकता है। हल्बा जनजाति की अर्थव्यवस्था में कृषि कार्य की प्रधानता है। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार के कारण अनेक परिवारों के सदस्य नौकरी कर रहे हैं, ऐसे परिवारों में कृषि कार्य द्वितीयक आर्थिक कार्य है। अनेक परिवारों में मजदूरी ( कृषि मजदूरी तथा अन्य मजदूरी) द्वितीयक आर्थिक कार्य है।

### 7.4. आर्थिक संरचना

हल्बा जनजाति की आर्थिक संरचना मुख्यतः कृषि पर आधारित है। वनों के समीप बसे हल्बा ग्रामों की अर्थव्यवस्था पर वनों का प्रभाव भी दिखाई देता है। हल्बा आर्थिक संगठन में लिंग–आयु आधारित श्रम विभाजन पाया जाता है तथा सम्पूर्ण परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में बाह्य सम्पर्क में वृद्धि, विकासीय प्रक्रिया के कारण नवीन आर्थिक स्त्रोतों का सृजन भी हुआ है। हल्बा जनजाति के आर्थिक संरचना का विवरण निम्न है–

#### 7.4.1. लाई–चिवड़ा बनाना

लाई–चिवड़ा बनाना तथा बेचना हल्बा जनजाति का परंपरागत कार्य है। हल्बा जनजाति के आर्थिक जीवन में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान है। हल्बा जनजाति मूलतः कृषि करने वाली

जनजाति है। हल्बा स्त्रियॉं धान से लाई तथा चिवड़ा बनाकर स्थानीय बाजारों में बेचकर अपने परिवार में आर्थिक सहयोग करती हैं।

हल्बा स्त्रियॉं चिवड़ा बनाने के लिये चूल्हे में पानी व धान को उबालकर धान को अलग कर लेते हैं व चटाई या कपड़े के उपर धान को फैला देते हैं जिससे शेष पानी सूख जाता है। इसके बाद 'झिकरा' या चौड़े मुख वाले हांडी में बालू या रेत को गरम करते हैं व धान को डालकर भूंजते हैं। धान गरम होने पर फूटने लगता है जिसे निकालकर कोटन बाहना अथवा 'ढेकी' (धान कूटने का परंपरागत साधन) में कूटते हैं, जिससे चॉवल, चिवड़ा बन जाता है। इस प्रकार कूटे हुए धान को सूपा से 'फूनकर' या साफ कर चिवड़ा तथा 'कोंढ़ा' (धान का भूसा) अलग कर लेते हैं।

लाई बनाने की विधि चिवड़ा बनाने के समान है। इसमें चूल्हे में पानी व धान को उबालकर धान को अलग कर लेते हैं, इसके बाद भूमि में चटाई या कपड़े के उपर धान फैला देते हैं जिससे शेष पानी सूख जाता है। इसके बाद धान को कोटन बाहना अथवा 'ढेकी' (धान कूटने का परंपरागत साधन) में कूटते हैं व सूपा से 'फूनकर' या साफ कर चांवल तथा 'कोंढ़ा' (धान का भूसा) अलग कर लेते हैं। इसके बाद 'झिकरा' या चौड़े मुख वाले हांडी में बालू या रेत को गरम करते हैं व चांवल को डालकर भूंजते हैं। चांवल गरम होने पर फूटने लगता है व लाई बन जाता है।

### 7.4.2 कृषि

कृषि, हल्बा जनजाति के आर्थिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हल्बा अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि परिवार या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। हल्बा सदस्यों द्वारा खेतों में, घर के समीप बाड़ी में तथा मरहान भूमि में अनाज, दालें तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। हल्बा जनजाति की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है, वर्तमान में अनेक हल्बा परिवारों द्वारा सिंचित कृषि भी किया जा रहा है। हल्बा जनजाति की कृषि पद्धति का विवरण निम्नांकित है :—

### अ. भूमि धारिता

हल्बा परिवार में भूमि का स्वामित्व—स्वर्जित या पैतृक सम्पत्ति के विभाजन से प्राप्त है। हल्बा निवास क्षेत्र में रेतीली लाल मिट्टी की अधिकता है, कुछ क्षेत्रों में काली मिट्टी भी पायी जाती है। सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में भूमि की धारिता को सारणी क्र. 7.1 में दर्शाया गया है :—

**सारणी क्र.–7.1**

**हल्बा परिवारों में भूमि धारिता**

| क्र. | भूमि धारिता | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | भूमिधारी | 241 | 94.51 |
| 2. | भूमिहीन | 14 | 5.49 |
| | **योग** | **255** | **100** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 94.51 प्रतिशत हल्बा परिवारों में कृषि भूमि है, जबकि 5.49 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है। हल्बा जनजाति में भूमि धारकों की प्रतिशतता अधिक है, किन्तु ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में भूमि का असमान वितरण पाया जाता है।

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में कृषि भूमि की का वितरण सारणी क्र. 7.2 में दर्शाया गया है :–

**सारणी क्र.–7.2**

**हल्बा परिवारों में भूमि का वितरण**

| क्र. | कृषि भूमि (एकड़ में) | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | भूमिहीन | 14 | 5.49 |
| 2. | 3 एकड़ तक | 181 | 70.98 |
| 3. | 3–5 | 42 | 16.47 |
| 4. | 5 से अधिक | 18 | 7.06 |
| | **योग** | **255** | **100** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में सर्वाधिक 70.98 प्रतिशत परिवारों में 3 एकड़ तक तथा न्यूनतम 7.06 प्रतिशत परिवारों में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में कुल 681.35 एकड़ भूमि पाया गया अर्थात् प्रति परिवार भूमि धारिता 2.67 एकड़ पाया गया। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में भूमि धारकों की प्रतिशतता अधिक है, किन्तु भूमि का असमान वितरण है।

**ब. फसल**

हल्बा जनजाति अनाज, दालें व सब्जियों का उत्पादन कर अपनी दैनिक वार्षिक खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। हल्बा परिवार अपनी आवश्यकता मौसम एवं भूमि के अनुसार एक निश्चित फसल चक्र या फसल कैलेण्डर का पालन करने हैं।

धान, हल्बा जनजाति का मुख्य उपज है, धान की पैदावार मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फसल कटने के पश्चात् गीले खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं। इसके पश्चात् बैसाख माह से खेत की मरम्मत, मेड़ बनाने एवं जुताई का कार्य प्रांरभ करते हैं। इसके पश्चात् उत्पादन वृद्धि के लिये गोबर खाद डालते हैं, पूर्व में खाद के लिये वन से सूखी पत्तियां या वृक्ष की शाखायें लाकर खेत में जला देते थे एवं राख को पूरे खेत में बिखेर देते थे। हल्बा कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है अर्थात् परम्परागत हल–बैल, खाद विधि से ही कृषि किया जाता है। हल्बा जनजाति के सदस्य धान के अतिरिक्त मक्का, मंडिया, सरसो, उड़द, राहर, कुल्थी, तिल आदि फसल उत्पादित करते हैं। जिसके उत्पादन में हल्बा जनजाति के कृषक मई–जून से नवंबर–दिसंबर तक लगभग सात माह संलग्न रहते हैं।

**7.4.4 पशुपालन**

पशुपालन हल्बा जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य, मॉस, धार्मिक कार्य एवं आर्थिक लाभ है। हल्बा परिवारों में गाय, बैल, बकरा–बकरी, भैस, भैसा, मुर्गी–मुर्गा, बतख आदि पशुओं का पालन किया जाता है। हल्बा परिवारों में पशुओं को संपत्ति माना जाता है।

**7.4.5. वनोपज संकलन**

हल्बा जनजाति में उपयोग एवं विक्रय हेतु वनोपज संकलन किया जाता है। हल्बा जनजाति

में संकलन कार्य अधिकांशतः स्वामित्व के वृक्षों से किया जाता हैं, यदि हल्बा ग्रामों के समीप वन है तो वन से संकलन कार्य किया जाता है। हल्बा जनजाति के सदस्य ईमली, आम, महुआ, तेंदूपत्ता, साल बीज आदि का संकलन करते हैं। संकलन का कार्य एकल या सामूहिक रूप से किया जाता है। संकलन कार्य किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री–पुरूषों द्वारा किया जाता है। संकलन कार्य सुबह किया जाता है। संकलन कार्य 'टंगिया' (कुल्हाड़ी), 'गप्पा' (टोकनी), सब्बल की सहायता से किया जाता है। हल्बा सदस्य वन से फल–फूल, पत्ते आदि का संकलन करते हैं। हल्बा सदस्यों द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग या विक्रय हेतु संकलन किये जाते है। हल्बा जनजाति के सदस्य लगभग वर्ष में लगभग चार माह संकलन का कार्य सहायक आर्थिक क्रिया के रूप में करते हैं।

### 7.4.6 शिकार

हल्बा जनजाति के सदस्य कभी–कभी एकल तथा सामूहिक शिकार करते हैं। वर्तमान में शिकार कार्य शासकीय रूप से प्रतिबंधित होने के कारण अल्प प्रचलित है। शिकार हेतु तीर–धनुष, गुलेल, 'टंगिया' (कुल्हाड़ी) एवं अनेक प्रकार के जाल आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता है। हल्बा जनजाति में शिकार में व्यक्तियों की संलग्नता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

### अ. एकल शिकार

हल्बा जनजाति के सदस्य संकलन के साथ एकल शिकार करते हैं। वे खरहा (खरगोश), पंडकी, लावा आदि पशु–पक्षियों का शिकार करते हैं। यह शिकार खेतों में फसल की सुरक्षा के समय करते हैं। एकल शिकार हेतु गुलेल, तीर–धनुष, 'टंगिया' (कुल्हाड़ी) तथा अनेक प्रकार के जालों का प्रयोग करते हैं।

### ब. सामूहिक शिकार

हल्बा जनजाति के सदस्य गर्मियों में वार्षिक सामूहिक शिकार करते थे। इसमें ग्राम के सभी युवा पुरूष सदस्य शामिल होते थे। वार्षिक सामूहिक शिकार में ग्राम में निवासरत सभी जाति–जनजाति के पुरूष सदस्य शामिल होते थे। सामूहिक शिकार में जानवर को भगाकर शिकार करते थे। इसमें एक दिशा से पशुओं को भगाकर लाते हैं तथा दूसरा समूह शिकार करता है।

### 7.4.7. मत्स्य आखेट

हल्बा जनजाति के स्त्री–पुरूष वर्षा एवं शीत ऋतु में नदी–नाला, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। मछली मारने का कार्य उपभोग हेतु किया जाता है। मछली मारने का कार्य दोपहर या शाम को किया जाता है। मछली मारने के लिये गरी–लाट, पेलना, खूटन, जाल आदि का प्रयोग करते हैं। महिलायें गड़ढे या डबरा से पानी फेंककर मछली पकड़ती हैं। सामूहिक रूप में प्राप्त मछली का समान वितरण किया जाता है।

### 7.4.8 मजदूरी

हल्बा जनजाति के सदस्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कृषि, निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने लगे हैं। शासकीय मजदूरी कार्य में शासकीय दर से मजदूरी प्राप्त होती है। हल्बा ग्रामों में कृषि मजदूरी के निम्न स्वरूप दिखाई देते हैं–

### अ. दैनिक मजदूरी

हल्बा सदस्य खेत की मरम्मत, निंदाई, कटाई, मिंजाई आदि कार्य में दैनिक मजदूरी पर जाते हैं। दैनिक मजदूरी में स्त्री–पुरूष दोनों कार्य करते हैं। लेकिन मजदूरी दर में लिंगाधारित भिन्नता पाया जाता है, दैनिक कृषि मजदूरी कार्य वर्ष में 30–60 दिन उपलब्ध होता है।

### ब. शासकीय मजदूरी व अन्य मजदूरी कार्य

हल्बा सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत, मनरेगा, निर्माण कार्य तथा शासकीय विभाग के कार्यों में मजदूरी कार्य करते है। जिसमें शासकीय दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इन्हें वर्ष में लगभग 30–100 दिनों तक शासकीय मजदूरी कार्य उपलब्ध होता है। वर्तमान में हल्बा जनजाति के कुछ सदस्य वर्ष में एक–छह माह तक मजदूरी हेतु छत्तीसगढ़ राज्य से अन्य राज्यों जैसे–आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में पलायन करते हैं।

### स. वार्षिक मजदूरी

हल्बा जनजाति में वार्षिक मजदूरी को ''कमिया'' कहते हैं। ''कमिया'' अर्थात् वार्षिक मजदूर 10 माह अर्थात् जेठ–आषाढ़ से माघ–फागुन तक रखते हैं। इसमें वार्षिक मजदूरी दर 80–100 खंडी धान, एक पहर का भोजन, कपड़ा तथा दैनिक उपयोगी वस्तुयें हैं। नियम व शर्त तय होने के उपरान्त ''कमिया'' भूमि स्वामी के घर कार्य करने लगता है उसे कृषि व घर का कार्य करना पड़ता है।

''कमिया'' आवश्यकतानुसार अग्रिम ले सकता है। जिसे अंतिम भुगतान में से घटा दिया जाता है। यदि ''कमिया'' तय अवधि के मध्य में काम छोड़ देता है तो किये गये कार्य अवधि का पारिश्रमिक देते हैं।

### 7.4.9. नौकरी

हल्बा जनजाति में साक्षरता दर राज्य की जनजातीय जनसंख्या के साक्षरता दर से अधिक है। हल्बा जनजाति के अनेक सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् विभिन्न शासकीय सेवा, शिक्षक, शिक्षाकर्मी, ऑगनबाड़ी कार्यकर्ता, चपरासी आदि पदों पर नौकरी करने लगे हैं। नौकरी के कारण हल्बा परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

### 7.4.10. अन्य स्त्रोत

हल्बा जनजाति के सदस्य स्व–सहायता समूह, सहकारी समिति, व्यवसाय, ठेकेदारी आदि कार्यो के द्वारा भी आय प्राप्त कर रहे है। हल्बा जनजाति के अनेक परिवार के वृद्ध सदस्यों को पेंशन भी प्राप्त हो रहा है। यह हल्बा परिवारों के परम्परागत आर्थिक स्त्रोतों के अतिरिक्त अन्य आय के स्त्रोत है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग प्राप्त होता हैं।

### 7.4.11. वार्षिक आय–

### अ. समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों को कृषि, संकलन, पशुपालन, मजदूरी, नौकरी, व्यवसाय आदि समस्त स्त्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय को सारणी क्र. 7.3 में दर्शाया गया है।

**सारणी क्र.– 7.3**

**समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय का विवरण**

| क्र. | आय वर्ग (रू.में) | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | 40000 से कम | 118 | 46.27 |
| 2. | 40000–80000 | 77 | 30.20 |
| 3. | 80000–120000 | 18 | 7.06 |
| 4. | 120000–160000 | 5 | 1.96 |
| 5. | 160000–200000 | 9 | 3.53 |
| 6. | 200000–240000 | 4 | 1.57 |
| 7. | 240000 से अधिक | 24 | 9.41 |
| | **योग** | **255** | **100.00** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि समस्त स्त्रोतों से सर्वाधिक 46.27 प्रतिशत परिवारों को 40000 रूपये से कम वार्षिक आय पाया गया, जबकि न्यूनतम 1.96 प्रतिशत परिवारों को 120000 से 160000 रूपये के मध्य वार्षिक आय प्राप्त हुआ। 9.41 प्रतिशत परिवारों की वार्षिक आय 240000 रूपये से अधिक है, इन परिवारों में एक या एकाधिक सदस्य शासकीय नौकरी कर रहे है।

## ब. वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों के प्राप्त वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों अंशधारिता को सारणी क्रमांक 7.4 में दर्शाया गया है –

**सारणी क्र.–7.4**

**वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता**

| क. | स्त्रोत | वार्षिक आय | | आय प्राप्त परिवारों की संख्या | प्रति परिवार आय |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रूपये | प्रतिशत | | |
| 1. | कृषि | 1729910 | 8.45 | 121 | 14297 |
| 2. | मजदूरी | 4869958 | 23.80 | 215 | 22651 |
| 3. | वनोपज | 458475 | 2.24 | 147 | 3119 |
| 4. | पशुधन | 409300 | 2.0 | 113 | 3622 |
| 5. | नौकरी | 11075096 | 54.13 | 63 | 175795 |
| 6. | पेंषन | 742800 | 3.63 | 54 | 13756 |
| 7. | व्यवसाय | 1088800 | 5.32 | 24 | 45367 |
| 8. | अन्य | 86800 | 0.42 | 3 | 28933 |
| | **योग** | **20461139** | **99.99** | **255 परिवार** | **80240** |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों के वार्षिक आय में सर्वाधिक 54.13 प्रतिशत आय नौकरी से, शासकीय तथा अन्य मजदूरी से 23.80 प्रतिशत, कृषि से 8.45 प्रतिशत, व्यवसाय से 5.32 प्रतिशत, पेंशन से 3.63 प्रतिशत, वनोपज से 2.24 प्रतिशत, पशुधन से 2.0 प्रतिशत तथा अन्य साधनों से 0.42 प्रतिशत आय प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त आय के आधार पर प्रति परिवार वार्षिक आय 80239.76 या 80240 रूपये तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 15631.12 रूपये है।

उपरोक्त सारणी से यह भी स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में कृषि आय कम है इसका कारण यह है कि सर्वेक्षित हल्बा परिवारों की कृषि कार्य में संलग्नता लगभग शत प्रतिशत है किंतु भूमि धारिता कम होने के कारण, परंपरागत कृषि होने के कारण उत्पादित फसल अपर्याप्त होती है या वार्षिक उपभोग हेतु रखा जाता है। उत्पादित फसल अधिक होने पर विक्रय किया जाता है। सर्वेक्षित परिवारों में से 63 परिवार के सदस्य नौकरी में संलग्न हैं किंतु यह कुल आय का 54.13 प्रतिशत है। यदि इन परिवारों को नौकरी से प्राप्त वार्षिक आय को पृथक कर प्रति परिवार वार्षिक आय की गणना किया जाय तो प्रति परिवार वार्षिक आय 36808 रूपये है।

### 6.4.10 ऋणगस्तता

हल्बा जनजाति में पारिवारिक, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि, पशु कय आदि कार्यो के लिये ऋण लेते हैं। ऋण के रूप में हल्बा परिवार धन, वस्तु, सामग्री तथा अनाज लेते है। यह ऋण संबंधियों, साहूकार, सहकारी संस्थाओं तथा बैंक से लेते है। सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नांकित है –

### अ. ऋण की स्थिति

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में ऋण की स्थिति को सारणी क्रमांक 7.5 में दर्शाया गया है –

**सारणी क.– 7.5**

**ऋण की स्थिति**

| क. | ऋण की स्थिति | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | हॉ | 98 | 38.43 |
| 2. | नही | 157 | 61.57 |
| | योग | 255 | 100 |

सर्वेक्षित परिवारों में से 38.43 प्रतिशत परिवारों ने ऋण लिया है जबकि 61.57 प्रतिशत परिवारों ने ऋण नहीं लिया।

### ब. ऋण की राशि

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में ऋण की राशि का विवरण सारणी क्रमांक 7.6 में दर्शाया गया है –

**सारणी क.–7.6**

**ऋण की राशि**

| क. | ऋण की राशि (रू.में) | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | 20000 रूपये तक | 52 | 53.06 |
| 2. | 20000–40000 | 15 | 15.31 |
| 3. | 40000–60000 | 10 | 10.2 |
| 4. | 60000–80000 | 2 | 2.04 |
| 5. | 80000–100000 | 7 | 7.14 |
| 6. | 100000 से अधिक | 12 | 12.25 |
| | योग | 98 | 100 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 53.06 प्रतिशत परिवारों ने 20000 रूपये तक तथा न्यूनतम 2.04 प्रतिशत परिवारों ने 60000–80000 रूपये तक ऋण लिया है।

## स. ऋण का उद्देश्य

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में ऋण का उद्देश्य को सारणी क्रमांक 7.7 में दर्शाया गया है –

**सारणी क.–7.7**

**ऋण का उद्देश्य**

| क. | ऋण उद्देश्य | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | कृषि कार्य | 66 | 67.35 |
| 2. | कृषि व अन्य कार्य | 3 | 3.06 |
| 3. | व्यवसाय | 10 | 10.20 |
| 4. | गिरवी भूमि छुड़ाने | 4 | 4.08 |
| 5. | वाहन | 3 | 3.06 |
| 6. | बच्चों की शिक्षा | 2 | 2.04 |
| 7. | रोग उपचार | 1 | 1.02 |
| 8. | बैल क्रय | 1 | 1.02 |
| 9. | जीवन संस्कार | 2 | 2.04 |
| 10. | घरेलू आवश्यकता | 3 | 3.06 |
| 11. | भूमि सुधार | 2 | 2.04 |
| 12. | आवास निर्माण | 1 | 1.02 |
| | योग | 98 | 99.99 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 67.35 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्य हेतु तथा न्यूनतम 1.02–1.02 प्रतिशत परिवार ने रोग उपचार, बैल क्रय तथा आवास निर्माण हेतु ऋण लिया है।

### स. ऋण का स्त्रोत

सर्वेक्षित हल्बा परिवारों में ऋण का स्त्रोत को सारणी क्रमांक 7.8 में दर्शाया गया है –

**सारणी क्र.–7.8**

**ऋण का स्त्रोत**

| क्र. | ऋण का स्त्रोत | परिवार | |
|---|---|---|---|
| | | संख्या | प्रतिशत |
| 1. | राष्ट्रीयकृत बैंक | 28 | 28.57 |
| 2. | सहकारी बैंक | 51 | 52.04 |
| 3. | स्व सहायता समूह | 10 | 10.20 |
| 4. | साहूकार | 3 | 3.06 |
| 5. | रिश्तेदार | 6 | 6.12 |
| | योग | 98 | 99.99 |

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारो में से सर्वाधिक 52.04 प्रतिशत परिवारों ने सहकारी बैंक से तथा न्यूनतम 3.06 प्रतिशत परिवारों ने साहूकार से ऋण लिया है। हल्बा परिवार सहकारी तथा राष्ट्रीयकृत बैंक से कृषि कार्य हेतु 'किसान क्रेडिट कार्ड' अंतर्गत कृषि ऋण प्राप्त करते है तथा फसल के उपरांत ऋण चुका देते है।

**********

## अध्याय–8

# राजनीतिक संगठन

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये सामाजिक प्रतिमान तथा सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं। सरल समाजों में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन, अप्रत्यक्ष एवं सहज होते हैं। इन समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विशिष्ट राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो प्रथाओं तथा धार्मिक रीति के सामंजस्य से कार्य करता है। हल्बा जनजाति में द्विस्तरीय राजनीतिक संगठन पाया जाता है :–

### 8.1. ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत

हल्बा ग्रामों में ग्राम स्तर पर जनजाति के सदस्यों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिये ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत होता है। इसमें ग्राम या समीप के अन्तर ग्राम से संबंधित छोटे मामलों का निपटारा किया जाता है। इसका विवरण निम्न है–

### 8.1.1. कार्यकारिणी

हल्बा जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में नाईक, पुजारी तथा सहयोग हेतु बुजुर्ग परिषद् ''सियान'' के रूप में सहायता करते हैं।

### अ. नाईक

ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत के मुखिया को नाईक कहते हैं। नाईक का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या नाईक का पद सम्हालने के अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को नाईक का पद दिया जाता है। यदि नाईक निःसंतान है तो उसके भाईयों के पुत्र को, यदि पाईक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवयस्क है तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को नाईक बनाते हैं।

नाईक का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों में निर्णय करना, ग्राम क्षेत्र में घटित बड़े अपराध की सूचना परगना मांझी को देना, हल्बा व अन्य जनजाति के मामलों के निपटारे में हल्बा जनजाति का प्रतिनिधित्व करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों के शुद्धिकरण में परगना मांझी का सहयोग करना आदि है।

### ब. पुजारी

पुजारी, ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में नाईक का सहयोगी होता है। वह जनजाति पंचायत में धर्म, अशुद्धि तथा भूमि संबंधी मामलों में परगना मांझी तथा नाईक की मदद करता है। पुजारी का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या पुजारी का पद सम्हालने के अनिच्छुक है तो सर्वसम्मति से उसके परिवार के अन्य व्यक्ति को पुजारी बनाते हैं।

पुजारी का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में नाईक का सहयोग करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों के शुद्धिकरण में सहयोग करना, ग्राम स्तर के धार्मिक आयोजनों को पाईक के सहयोग से पूर्ण करना, ग्राम स्तर के भूमि संबंधी मामलों को निपटारे में राय देना आदि है।

### स. बुजुर्ग परिषद्

हल्बा जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में नाईक के सहयोग हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों का समूह होता है। हल्बा जनजाति में बुजुर्ग व्यक्ति को ''सियान'' कहते हैं। बुजुर्ग परिषद में पांच से सात सदस्य होते हैं। ये ''सियान'' या बुजुर्ग व्यक्ति ग्राम में जनजाति के योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित तथा जानकार व्यक्ति होते हैं। इनका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है।

''सियान'' या बुजुर्ग परिषद का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में नाईक के साथ विचार–विमर्श करना तथा नाईक को निर्णय लेने में सहयोग करना, उच्च स्तरीय पंचायत में लिये गये निर्णय के पालन की निगरानी करना, ग्राम्य स्तर पर होने वाले धार्मिक कार्यों में सहयोग करना, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

### 8.2. क्षेत्रीय या परगना जनजाति पंचायत

रियासतकाल से 10–20 ग्रामों के समूह पर गठित राजनीतिक इकाई परगना पर आधारित स्तर को जनजाति के क्षेत्रीय स्तर का राजनीतिक संगठन या परगना पंचायत कहते हैं। परगना जनजाति पंचायत का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित गंभीर या बड़े अपराधों का निपटारा करना, अंतर–ग्राम विवादों का निपटारा करना है। परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी निम्न है–

### 8.2.1. कार्यकारिणी

हल्बा जनजाति के परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में परगना मांझी, नाईक तथा सहयोग हेतु बुजुर्ग परिषद ''सियान'' होते हैं।

### अ. परगना मांझी

क्षेत्रीय स्तर या परगना जनजाति पंचायत का प्रमुख पद परगना मांझी होता हैं। परगना मांझी, परगना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का राजनीतिक प्रमुख होता है। परगना मांझी का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या परगना मांझी का पद सम्हालने के अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को परगना मांझी का पद दिया जाता है। यदि परगना मांझी निःसंतान है तो उसके भाईयों के पुत्र को, यदि परगना मांझी की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवयस्क है तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को परगना मांझी बनाते हैं।

परगना मांझी का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों अर्थात निकटागमन संबंधी मामले, अंतर्जातीय विवाह, पलायन विवाह तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत या समाज से बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी मामले का निपटारा करना, ग्राम स्तर पर लिये गये निर्णय के विरूद्ध अपील का निपटारा करना, एकाधिक हल्बा ग्राम के मामलों का निपटारा करना, सामाजिक नियमों तथा निर्णय के पालन तथा उल्लंघन की निगरानी करना, बस्तर दशहरा तथा पूर्व में बस्तर रियासत काल के दौरान विभिन्न अवसरों पर जनजाति संबंधी मामलों में परगना का प्रतिनिधित्व करना।

### ब. बुजुर्ग परिषद

हल्बा जनजाति के परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में परगना मांझी के कार्यों में सहयोग हेतु परगना के अंतर्गत ग्रामों के नाईक तथा परगना क्षेत्र के प्रमुख तथा प्रभावशाली बुजुर्ग या सियान व्यक्तियों का एक समुह होता है। बुजुर्ग परिषद का कार्य परगना मांझी के कार्यों में सहयोग करना, जात–पात या बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी कार्य में परगना मांझी को सहयोग करना तथा ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

## 8.3. आधुनिक जातीय संगठन

हल्बा जनजाति के परंपरागत जनजाति पंचायत का प्रभाव आधुनिकता, बाहरी संपर्क, पंचायती राज तथा अन्य समाज के प्रभाव के कारण कम हो रहा है। इस कारण हल्बा जनजाति के शिक्षित, जागरूक तथा प्रगतिशील सदस्यों द्वारा समाज को जागरूक, संगठित तथा विकास मार्ग पर अग्रसर करने हेतु हल्बा जनजाति के सामाजिक संगठन का गठन किया गया है।

भारत के विभिन्न राज्यों में निवासरत हल्बा जनजाति के सदस्यों द्वारा स्थानीय स्तर पर संगठन स्थापित किया था, जिसे समाज के पदाधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर संगठित होकर "अखिल भारतीय हल्बा समाज" का गठन किया गया। अखिल भारतीय स्तर पर संगठित हल्बा समाज पांच महासभा में विभाजित है– 1. उड़ीसा महासभा 2. महाराष्ट्र महासभा 3. मध्यप्रदेश महासभा 4. बालोद महासभा तथा 5. बस्तर महासभा (32 गढ़ व 18 गढ़)।

बस्तर संभाग के बस्तर महासभा में दो महासभा 32 गढ़ महासभा व 18 गढ महासभा सम्मिलित है, जिसमें संभाग जिला एवं गढ़ स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, कोषाध्यक्ष, गढ़ अध्यक्ष, गढ़ उपाध्यक्ष, गढ़सचिव तथा कार्यकारिणी है। उपरोक्त संगठन द्वारा हल्बा जनजाति समाज सुधार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत है।

**********

# अध्याय–9
# धार्मिक जीवन

हल्बा धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी–देवताओं के विश्वास पर आधारित है। हल्बा अलौकिक या अधि मानवीय शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर आराधना, बलि के माध्यम कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। हल्बा जनजाति में धर्म दैनिक जीवन, सामाजिक–आर्थिक, जीवन संस्कार में गुंथा हुआ है, यह सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने आवश्यक है। हल्बा जनजाति के देवी–देवता निम्न है–

## 9.1. देवी–देवता

हल्बा जनजाति के देवी–देवताओं का विवरण निम्न है–

### 9.1.1. गृह देवी–देवता

हल्बा जनजाति में गृह देवी–देवता, गोत्र तथा परिवार के अनुसार नियत हैं। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने घर में तीन स्थल पर देवी देवता का वास मानते हैं :–

**अ. पूजा कक्ष**

हल्बा सदस्य के आवास के अंदर के पूजा कक्ष को "देवघर" कहते हैं, जिसके एक किनारे में या धान कोठी के नीचे मिट्टी का चबूतरा बना होता है, जिसमें तीन देवी–देवताओं के प्रतीक के रूप में पहला, एक चाकू गाड़ते हैं, दूसरा, त्रिशूल तथा तीसरा, मिट्टी की हांडी को स्थापित किया जाता है। यह परिवार के गृह तथा पूर्वज देवी–देवता होते हैं। प्रत्येक त्यौहार में इन गृह देवी–देवताओं की विशेष पूजा किया जाता है।

**ब. कोंडासाल (गौशाला)**

हल्बा परिवार के पशुशाला में पशुओं की रक्षा करने वाली बंजारिन देवी को स्थापित किया जाता है। जिनकी ''दियारी'' त्यौहार में विशेष पूजा करते हैं तथा बलि देते हैं।

### 9.1.2. ग्राम देवी–देवता

ग्राम देवी–देवता के अंतर्गत वे देवी–देवता शामिल हैं, जिन्हें सभी हल्बा परिवार पूजा अर्चना करते हैं। इन देवी–देवताओं को ग्राम के अन्य जाति–जनजातियाँ भी पूजा करते हैं। इन

देवी–देवताओं को 'देवगुड़ी' या मंदिर में स्थापित किया जाता है। देवगुड़ी' ग्राम के मध्य या ग्राम से बाहर स्थित होता है, इसमें ग्राम के मुख्य देवी–देवता शीतला देवी, ठाकुर देव, काली माता, कंकालीन देवी, परदेशीन देवी धबेड़ावीर, पाठदेव, खोटलादेव आदि में से दो–तीन देवी–देवता को स्थापित किया जाता है। इन देवी–देवताओं की सभी प्रमुख अवसरों पर पूजा किया जाता है व बलि चढ़ाया जाता है। ग्राम में स्थापित प्रमुख देवी–देवता निम्न है –

### अ. कंकालीन देवी

कंकालीन देवी, ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। इन्हें अलग–अलग ग्रामों में पृथक नामों से पूजा किया जाता है। हरेली त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चाँवल, बलि से विशेष पूजा किया जाता है।

### ब. शीतला देवी

शीतला देवी, ग्राम देवी हैं, जो दैवीय प्रकोप, चेचक, छोटी माता आदि रोग, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। सभी तीज–त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चाँवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

### स. परदेशीन देवी

परदेशीन देवी ग्राम देवी हैं, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। सभी तीज–त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चाँवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष विशेष पूजा होती है।

### द. हिंगलाजिन देवी

हिंगलाजिन देवी ग्राम देवी हैं, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती है। सभी तीज–त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चाँवल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

### इ. दूल्हा देव

दूल्हा देव को गृह देवता होने के साथ–साथ कई ग्रामों में ग्राम देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। विवाह के अवसर पर दूल्हा देव की पूजा किया जाता है। दूल्हा देव नवजीवन, शांति, सुख प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं।

### 9.1.3. प्रमुख देवी–देवता

हल्बा जनजाति के सदस्य स्वयं को राजा के साथ आंध्रप्रदेश के वारंगल क्षेत्र से बस्तर राज्य मे प्रवासित मानते हैं। बस्तर राजा की आराध्य देवी–देवता को संपूर्ण रियासत में हल्बा जनजाति के सदस्य प्रमुख देवी–देवता के रूप में आराधना करते है। हल्बा जनजाति के सदस्य प्रमुख देवी–देवता के रूप में दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, मावली देवी की आराधना करते हैं।

दंतेश्वरी देवी, दुर्गा देवी को हल्बा समाज में सर्वोच्च आराध्य देवी माना जाता है। प्रत्येक त्यौहार व धार्मिक आयोजनों में प्रमुख देवी–देवताओं की पूजा किया जाता है।

### 9.2. प्रमुख त्यौहार

हल्बा जनजाति के प्रमुख त्यौहार निम्नांकित हैं–

### अ. शक्ति दिवस

शक्ति दिवस हल्बा जनजाति मुख्य त्यौहार है। इसे प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को मनाया जाता है। 26 दिसंबर को हल्बा समाज के अलग–अलग क्षेत्रीय समाज एकजुट होकर अखिल भारतीय स्वरूप में संगठित हुये थे। इस दिन को समाज के संगठन व एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दिन स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर समाज के सदस्य एकत्रित होकर दुर्गा देवी व दंतेश्वरी देवी की पूजा करते हैं व अनेक सामाजिक आयोजन किया जाता है।

### ब. अमुस

अमुस त्यौहार सावन माह के अमावस्या तिथि को मनाते हैं, इसमें ग्राम देवी–देवता की पूजा, पशु सुरक्षा, ग्राम सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। इस त्यौहार हेतु प्रत्येक परिवार से चंदा या सहयोग राशि एकत्र किया जाता है। इस दिन ग्राम के पुरूष 'देवगुड़ी'(मंदिर) में उपस्थित होते हैं। पुजारी वन से कुछ विशेष वृक्षों की टहनियाँ लाता है और 'देवगुड़ी'(मंदिर) में अगरबत्ती, चाँवल, नारियल, लाली आदि से पूजा कर 'देवगुड़ी' (मंदिर) के छत में वृक्षों की टहनियाँ लगाता है। पूजा के प्रसाद को केवल पुरूषों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पूजा के उपरांत पुजारी द्वारा प्रत्येक घर के द्वार में बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचाव हेतु टहनी लगाता है। खेत और बाड़ी में टहनी बुरी नजर से बचाव के लिये लगाते हैं।

## स. नयाखानी

नयाखानी त्यौहार भादों माह के शुक्ल पक्ष में नये अनाज की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार हेतु घर की साफ–सफाई, लिपाई–पोताई किया जाता है। इस दिन सुबह सभी पुरूष सदस्य ग्राम देवता के 'देवगुड़ी'(मंदिर) में एकत्र होते हैं। पुजारी ग्राम देवी–देवता की पूजा कर धान की नयी बाली को मंदिर से चौखट से बांध देता है और सभी पुरूषों को प्रसाद वितरित करता है। परिवार का मुखिया गृह देवी–देवताओं की पूजा करता है तथा मुर्गे या बकरा की बलि देता है। इसके बाद सभी नया प्रसाद ग्रहण करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं।

## द. दियारी

दियारी त्यौहार पूस माह में मनाया जाता है। यह त्यौहार नये फसल तथा पशु धन के सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार तीन दिनों तक मनाया जाता है। जिसमें पहले दिन धोरई या चरवाहा प्रत्येक घर के पशुओं के गले में स्वयं द्वारा लायी गयी रस्सी "जेठा" बांधता है। दूसरे दिन परिवार का मुखिया पशु शाला में पशुओं की पूजा करता है तथा खिचड़ी खिलाता है। तीसरे दिन ग्राम के "गोठान" की पूजा ग्रामवासी एकत्र होते है तथा पूजा उपरांत मनोरंजक खेल खेलते हैं। चरवाहो को धान, कपड़ा, रूपये दिया जाता है।

## इ. छेरछेरा

छेरछेरा त्यौहार पूस माह की पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह कृषि वर्ष की समाप्ति तथा नये कृषि वर्ष के प्रारंभ की खुशी का पर्व है, इस दिन 'कमिया' (वार्षिक मजदूर) की कार्य अवधि पूर्ण माना जाता है। हलबा जनजाति के सदस्य समूह में गांव के घर–घर जाकर ''छेरछेरा'' गीत व नृत्य करते हुए अनाज तथा रूपये मांगते हैं। इसके बाद बकरा या मुर्गा की बलि देकर भोजन बनाते हैं और खुशियॉ मनाते हैं।

उपरोक्त त्यौहारों के अतिरिक्त हल्बा जनजाति के सदस्य होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तीजा आदि त्यौहार मनाते हैं।

### 9.3. आत्मा

हल्बा धर्म का एक पक्ष आत्मा आधारित है अर्थात् हल्बा जनजाति आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा सदैव जीवित रहती है और अलग–अलग शरीर के माध्यम से उनका

परिवार के सदस्य या अन्य रूपों में पुनर्जन्म होता है या वे पितर आत्मा के रूप में अपने वंशजों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करती हैं।

हल्बा परिवार में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति की आत्मा को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर पूजा कक्ष में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार परिवार में बच्चे के जन्म होने पर नामकरण के पूर्व अनेक विधियों से उस बच्चे के पूर्व जन्म का नाम तथा पूर्वज को ज्ञात किया जाता है।

### 9.4. भूत—प्रेत

हल्बा जनजाति मे मान्यता हैं कि यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक, दुर्घटनावश, आयु पूर्ण होने से पूर्व मृत्यु हो जाते हैं या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है या मृत्यु के स्थान पर वास करने लगता है। जो कोई भी उसके सम्पर्क में आता है आत्मा उसे तंग करता है। इसी कारण हल्बा समाज में इस प्रकार से मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की अलग प्रक्रिया है, जिससे यदि संभव हो तो आत्मा मुक्त हो जाये। हल्बा सदस्य इस प्रकार की बुरी आत्माओं को भूत, प्रेत आदि नामों से जानते हैं।

भूत—प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति असामान्य हरकतें करता है। गर्भवती व नवजात शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, शरीर सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में बचाव के लिये हल्बा सदस्य 'पुजारी', 'सिरहा' की शरण में जाते हैं और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति को प्रभाव मुक्त करता है।

### 9.5. जादू—टोना

हल्बा क्षेत्र में जादू—टोना का प्रचलन है। जादू—टोना करने वाले व्यक्ति विभिन्न साधना के माध्यम से अति मानवीय शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर विरोधियों के अहित करने का प्रयास करते हैं। जादू—टोना करने वाले पुरूष को 'टोनहा' स्त्रियों को 'टोनही' या 'टोनहिन' कहते हैं। 'टोनहा' तथा 'टोनही' अपने जादू के माध्यम से दूसरे को तंग करते हैं, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव मुक्त होने के लिये हल्बा सदस्य 'पुजारी' की शरण में जाते हैं और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति की सुरक्षा करता है।

**********

## अध्याय–10

# लोक परम्परायें

हल्बा जनजाति के लोक जीवन में लोककथा, लोक कहावत, पहेली, नृत्य–संगीत, गीतों का अद्भूत समायोजन है। हल्बा सदस्य जीवन की क्रियाओं को सरल, सुगम एवं रूचिपूर्ण बनाने के लिये तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लोककथा, लोक कहावत, पहेली, गीत–संगीत–नृत्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण .अवसरों से जुड़ा हुआ है। बस्त क्षेत्र की हल्बी साहित्य में कहानी, लोककथा, गीत आदि का समृद्ध भंडार है। हल्बा जनजाति के उपरोक्त पक्षों का संक्षिप्त विवरण अधोलिखित है–

### 9.1. लोक कहावत

हल्बा जनजाति में आपसी संवाद के दौरान कहावतों का प्रयोग करते हैं। कहावत को हल्बा जनजाति के सदस्य "कहका" कहते हैं। आपसी बातचीत में प्रयुक्त कुछ लोक कहावत निम्न है–

1. धान बुनलो भीम, पानी दिलो इंदर

**तात्पर्य** – भीमा देव ने धान बोया तब इंद्रदेव ने हल चलाया।

2. नानी मिरी, मोटो झार

**तात्पर्य** – छोटी मिर्च अधिक तेज होती है। यह किसी छोटे किंतु तेज अथवा गुस्सैल अथवा बुद्धिमान व्यक्ति के लिये प्रयोग किया जाता है।

3. आपलो बेटा, छाती पेटा, पर बेटा, कुढार ढेटा।

**तात्पर्य** – अपना पुत्र ही अपना होता है, भले ही वह अयोग्य हो। दूसरे का योग्य पुत्र कुल्हाड़ी के डंडे के समान महत्वपूर्ण होते हुये भी उपेक्षित होता है।

4. रूक चेघो चो मन नाही, पींढा ढेकलो काय करे।

**तात्पर्य** – वृक्ष पर चढ़ने वाले का मन नही है, ढकेलने वाला क्या करे अर्थात् किसी व्यक्ति को यदि कोई काम करने की इच्छा नही है तो उसे प्रोत्साहित करने वाला क्या कर सकता है।

5. मांस भात खुआलो, लहू हाथ धुआलो।

**तात्पर्य** – मांस भात खिलाना व रक्त से हाथ धुलाना अर्थात् किसी के हित के लिये कार्य करना किंतु उस व्यक्ति द्वारा हितकर्ता व्यक्ति को दुख पहुचाना।

### 9.2. लोकगीत–

हल्बा जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक जीवन से संबंधित गीत प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ का वर्णन निम्नांकित है–

### 9.3.1 विवाह गीत–

हल्बा जनजाति में विवाह के रस्मों में मउड़ बांधने का गीत, तेल चढ़ाने व उतारने का गीत, कोटनी गीत प्रचलित हैं।

### 9.3.2 धनकुल गीत

बस्तर क्षेत्र के गांव में अनेक प्रकार के जगार का आयोजन किया जाता है– लक्ष्मी जगार, बाली जगार, जीता जगार आदि। जगार का आयोजन सामूहिक रूप से ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है। जगार में गुरूमाई हल्बी में जगार गीत गाती हैं। इन गीतों में प्रकृति, देवी–देवता, पूजा आदि का उल्लेख होता है। यह गीत पूरे जगार आयोजन के दौरान गाया जाता है। गुरूमाई 'धनकुल' नामक विशेष वाद्य यंत्र को बजाते हुए जगार गीत गाती है। धनकुल शब्द धनुष तथा कुला (सूपा) के संयोजन से बना है। इस वाद्य यंत्र को धनुष, सुपा, हांडी, बॉस की कमची से बनाया जाता है।

उपरोक्त गीतों के अलावा परब गीत, रीलो गीत, लेजा गीत, सायलोड़ी गीत, छेरछेरा गीत आदि गीत भी गाये जाते हैं।

### 9.4 लोक नृत्य

हल्बा जनजाति में छेरछेरा नृत्य, विवाह नृत्य आदि अलग–अलग अवसरों पर मनोरंजन तथा परंपरा के रूप में किये जाते हैं। जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है–

### 9.4.1. छेरछेरा नृत्य

छेरछेरा नृत्य, छेरछेरा त्यौहार के दौरान किया जाता है। इसमें हल्बा जनजाति के सदस्य समूह में गांव के घर–घर जाकर ''छेरछेरा'' गीत व नृत्य करते हुए अनाज तथा रूपये मांगते हैं।

### 9.4.2. विवाह नृत्य

हल्बा जनजाति में विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है। यह नृत्य सामूहिक रूप से स्त्री पुरूषों द्वारा किया जाता है। हल्बा जनजाति में विवाह के उल्लासपूर्ण अवसर पर अलग–अलग रस्मों के दौरान नृत्य किया जाता है।

**********

## अध्याय – 11

# विकास एवं परिवर्तन

हल्बा जनजाति को छत्तीसगढ़ राज्य की विकसित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। हल्बा जनजाति रियासत काल से सैनिक वृत्ति एवं राज शाही के प्रशासनिक तंत्र में सहभागिता के कारण जागरूक व प्रगतशील रही है। अन्य जनजातियों की अपेक्षा हल्बा जनजाति बाह्य समाज के संपर्क में अधिक रही है। इस कारण कल्बा जनजाति में विकासीय सोपन के उच्च स्तर में है। हल्बा जनजाति में शिक्षा की स्थिति 1961 के जनगणना से 2011 की जनगणना तक मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य तथा भारत की जनजातीय साक्षरता दर से अधिक रहा है। उच्च साक्षरता दर, बाह्य समाज से संपर्क तथा जागरूकता हल्बा जनजाति के विकास का आधार रहा है। हल्बा जनजाति के विकास में आधुनिक कृषि, नौकरी व आय के नवीन स्त्रोत, राजनीतिक प्रमुख, सामाजिक एकता व नियंत्रण, सामाजिक संगठन की महत्वूपर्ण भूमिका रही है। हल्बा जनजाति अपने गौरव शाली इतिहास के आलोक में वर्तमान में सांस्कृतिक विरासत को बनाये हुए प्रगति पथ पर गतिमान है। हल्बा जनजाति जागरूक एवं प्रगतिशील होने के कारण उनमें शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य सम्पर्क तथा नवीन तकनीकों का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिससे हल्बा जनजाति की जीवन शैली, रहन–सहन में परिवर्तन हो रहा है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति–रिवाज, परम्पराओं एवं भौतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा है। हल्बा जनजाति के जीवन में परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है–

### 11.1. परिवर्तन–

### 11.1.1. भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

**(i)** **ग्राम**– हल्बा ग्रामों में अधोसंरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। ग्राम में सीमेंट–कांक्रीट की पक्की सड़कें, नालियाँ, स्कूल भवन, हैंडपम्प, सोलर उर्जा आधारित हैंडपंप व टंकी, पाइप लाइन द्वारा पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, राशन दुकान, पक्के सामुदायिक भवन आदि का सुव्यवस्थित विकास होने से हल्बा ग्राम की संरचना में परिवर्तन हुआ है।

**(ii)** **आवास**– हल्बा ग्रामों में परंपरागत कच्चा आवास के स्थान पर नवीन शैली के कच्चे, अर्ध पक्के तथा पक्के आवास का निर्माण होने लगा है। आवास के निर्माण हेतु पक्की ईंट, सीमेंट ईंट, सीमेंट या स्टील की शीट, रेत, बड़ी खिड़कियों का उपयोग करने लगे हैं। कुछ हलबा घरों में शौचालय, पक्के फर्श

तथा प्रकाश हेतु विद्युत व्यवस्था भी करने लगे हैं। घरों की पुताई हेतु चूने के साथ रंग, डिस्टेम्पर, पेंट का प्रयोग भी करने लगे हैं।

**(iii) दैनिक उपयोगी वस्तुएं**– हल्बा परिवारों की जीवन शैली में आधुनिक दैनिक उपयोगी वस्तुओं का समावेश होने लगा है। हल्बा सदस्य शीतकाल में ऊनी कपडे, जैकेट, शाल, ग्रीष्मकाल में टोपी, गमछा, धूप चश्मा तथा वर्षाकाल में छाता, रैनकाट, जूते, चप्पल, आदि का उपयोग करने लगे हैं। घर मे प्लास्टिक की चटाई, प्लास्टिक कुर्सियाँ, दीवाल घड़ी, रेडियो, टीवी, डिश, मोबाइल, पंखा आदि का उपयोग हल्बा जनजाति की दैनिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

**(iv) रसोई की वस्तुएं**– पूर्व में हल्बा जनजाति के सदस्य भोजन पकाने हेतु मिट्टी, एल्युमिनियम, कांसे के बर्तन तथा भोजन ग्रहण करने के लिए दोना–पत्तल का उपयोग करते थे। वर्तमान मे हल्बा जनजाति के सदस्य पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ–साथ एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, कांसा के बर्तनों का उपयोग भी करने लगे हैं।

**(v) शारीरिक स्वच्छता, वस्त्र विन्यास एवं साज–श्रृंगार**– हल्बा जनजाति के सदस्य शारीरिक स्वच्छता में दाँतों की सफाई हेतु दातौन के स्थान पर टूथ–ब्रश व मंजन/पेस्ट, स्नान हेतु साबुन, कपड़े धोने हेतु साबुन या वाशिंग पावडर का उपयोग करने लगे है। वे स्नान के पश्चात् श्रृंगार हेतु सुगंधित तेल, पावडर, बिंदिया, फीता, क्लीप का उपयोग करते है। हल्बा जनजाति के स्त्री–पुरूष वस्त्रों में जींस, टी–शर्ट, पैजामा कुर्ता, बरमुडा, सलवार कुर्ता, ब्लाउज आदि आधुनिक वस्त्रों का उपयोग करने लगे हैं।

**(vi) आर्थिक कार्यो से संबंधित वस्तुएं**– हल्बा जनजाति के सदस्य कृषि हेतु हल–बैल के साथ–साथ ट्रैक्टर, उड़ावनी पंखा, डीजल पम्प, आधुनिक कीटनाशक तथा कीटनाशक यंत्र का उपयोग करने लगे है। वे आधुनिक पद्धति से कृषि व सब्जी उत्पादन कर व्यावसायिक कृषि करने लगे हैं। शिकार तथा मछली मारने का कार्य कम होने के कारण इनसे संबंधित भौतिक वस्तुओं की संख्या मे कमी आयी है।

**(vii) आवागमन के साधन**– हल्बा जनजाति के सदस्य पूर्व की भॉति पैदल यात्रा के स्थान पर आवागमन तथा सामान परिवहन हेतु सायकल, मोटर सायकल, ट्रेक्टर, बस, जीप, कार, निजी वाहन आदि का उपयोग करने लगे हैं। जिससे समय व श्रम में बचत हो रही है।

### 11.1.2. जीवन संस्कार में परिवर्तन–

**(i) गर्भावस्था में चिकित्सीय जॉच**– हल्बा जनजाति में परंपरागत रूप से गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह का चिकित्सीय जॉच व उपचार नही किया जाता है। वर्तमान में शासन द्वारा गर्भवती स्त्री की जॉच, टीकाकरण व पूरक पोषण आहार की सुविधा दिये जाने के कारण हल्बा जनजाति की स्त्रियॉ गर्भावस्था के दौरान जॉच, टीकाकरण व पूरक पोषण आहार की सुविधा का लाभ लेने लगीं है।

**(ii) प्रसव कार्य**– हल्बा जनजाति में प्रसव कार्य पारंपारिक दाई के द्वारा घरों में किया जाता था किन्तु वर्तमान में शासकीय रूप से संस्थागत प्रसव प्रशिक्षित दाई, मितानिन या नर्स की देखरेख में प्रसव कराया जाता है।

**(iii) नामकरण**– नवजात बच्चों के नामकरण में आधुनिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है। हल्बा समाज के शिक्षित तथा नौकरी पेशा करने वाले सदस्य बच्चों के नाम आधुनिक समाज के बच्चों के नाम के समान रखने लगे है।

(iii) **पोषण व टीकाकरण**– वर्तमान में आंगनबांडी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण हल्बा जनजाति के माता व शिशु के पोषण, टीकाकरण की स्थिति मे सुधार हो रहा है।

(iv) **विवाह आयु**– पूर्व में हल्बा समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा थी, वर्तमान में विवाह आयु मे वृद्धि हुई है।

(v) **वैवाहिक कार्यक्रम**– पूर्व मे हल्बा समाज में वैवाहिक कार्यक्रम पांच से सात दिनों का होता था किन्तु खर्च की अधिकता एवं समायाभाव के कारण वर्तमान में विवाह कार्य तीन दिनों में सम्पन्न होने लगे हैं। इसी प्रकार सहमति विवाह में विवाह पूर्व 'माहला' (सगाई) का रिवाज था जिस तीन 'माहला'(सगाई) में परिवर्तित कर दिया गया है।

(vi) **उपहार का स्वरूप**– हल्बा समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में दिये जाने वाले 'भेंट' (उपहार) के स्वरूप में परिवर्तन आया है। वर्तमान में हल्बा समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में नगद तथा आधुनिक भौतिक वस्तुएं उपहार में देने लगे है।

(vii) **गीत–संगीत**– हल्बा समाज के सदस्य जन्म एवं विवाह संस्कार में पारम्परिक गीत–संगीत के साथ आधुनिक गीत–संगीत, वाद्य यंत्रों, लाउड स्पीकर का उपयोग करने लगे हैं।

**11.1.3. सामाजिक जीवन में परिवर्तन –**

(i) **संयुक्त परिवार का विघटन**– हल्बा जनजाति में संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता है किन्तु वर्तमान में रोजगार के कारण अन्यत्र बसाहट, परिवार में तालमेल व सामंजस्य की कमी के कारण संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं।

**(ii) पारिवारिक निर्णय**– पूर्व में हल्बा परिवारों में मुखिया पारिवारिक मामलों में निर्णय लेने को स्वतंत्र था किन्तु वर्तमान में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगे है।

**(iii) नियमों में परिवर्तन**– अन्तर्जातीय सम्पर्क बढ़ने से हल्बा जनजाति में यात्रा, निवास, खान–पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया है।

**11.1.4. आर्थिक जीवन मे परिवर्तन –**

**(i) अर्थव्यवस्था में परिवर्तन**– हल्बा जनजाति का परंपरागत आर्थिक कार्य लाई–चिवड़ा बनाना व विक्रय कार्य में कमी आयी है।हल्बा जनजाति की अर्थव्यवस्था में शिकार, मछली मारने का कार्य सीमित होने लगा है तथा गैर शासकीय एवं शासकीय मजदूरी, व्यवसाय तथा शासकीय सेवा के रूप मे नये आर्थिक कार्यो का सृजन हुआ है।

(ii) **कृषि में नवीन तकनीकों का समावेश**– कृषि क्षेत्र में परम्परागत कृषि के साथ–साथ नवीन तकनीकों जैसे–उर्वरक, कीटनाशक, उड़ावनी पंखा, सिंचाई, ट्रेक्टर आदि तकनीकों का समावेश हुआ है। जिससे फसल उत्पादन एवं आय में वृद्धि हुई है। कृषि व सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में परंपरागत विधि के साथ–साथ आधुनिक कृषि पद्धति का उपयोग कर रहे है।

(iii) **फसल उत्पादन**– हल्बा जनजाति के अनेक परिवारों में द्वितीय फसल या सब्जियों का उत्पादन व विक्रय भी करने लगे है। जिससे हल्बा परिवार की आय में वृद्धि हुई है।

(iv) **संस्थागत ऋण**– हल्बा जनजाति में कृषि, व्यवसाय, वाहन क्रय आदि पारिवारिक आवश्यकता हेतु संस्थागत ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है।

**11.1.5. राजनैतिक जीवन में परिवर्तन–**

हल्बा जनजाति के परम्परागत जनजाति पंचायत का प्रभाव सीमित हो गया है। वर्तमान में परम्परागत पंचायत विवाह संबंधी तथा कुछ विशेष मामलों का ही निपटारा करती है। परम्परागत जनजाति पंचायत में स्त्रियों की भूमिका तथा प्रतिनिधित्व नही था किन्तु वर्तमान में समाज द्वारा गठित राजनैतिक संगठन

में स्त्रियों को स्थान दिया गया है तथा आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में स्त्रियाँ विभिन्न पदों पद आसीन है।

**11.1.6. धार्मिक जीवन में परिवर्तन–**

हल्बा जनजाति का धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति के विश्वास पर आधारित है। वे अपने प्राचीन रीति–रिवाजों के अनुसार पूजा अनुष्ठान का निर्वहन करते है। वर्तमान में हिन्दु सम्पर्क के कारण हिन्दु देवी–देवताओं की पूजा तथा व्रत त्यौहार मनाने लगे है जिससे हल्बा धार्मिक जीवन में हिन्दु धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

**11.1.7. नृत्य संगीत मे परिवर्तन –**

हल्बा जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य एवं मनोरंजन हेतु लोक गीत–संगीत का प्रचलन धीरे–धीरे कम हो रहा है। इसके स्थान पर फिल्मी गीत–संगीत, साउंड सिस्टम, टेलीविजन, सीडी प्लेयर का प्रचलन बढ़ रही है। युवा वर्ग की रूचि लोक गीत–संगीत पर कम हो रही है।

**11.1. 8. शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन**–हल्बा जनजाति मे शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है। पूर्व में बालिका शिक्षा की दर कम थी जिसमे सुधार हो रहा है। पूर्व में हल्बा बालक माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करते थे वर्तमान में ग्राम में या समीपस्थ ग्राम में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होने के कारण उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहे है।

उपसंचालक
आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान,
क्षेत्रीय इकाई जगदलपुर छ.ग.

हल्बा जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

संचालनालय आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

सेक्टर-24, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

फोन : 0771-2960530, E-mail : trti.cg@nic.in, web. : www.cgtrti.gov.in